अध्याय III

नीतिगत परिवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली का सुदृढ़, लचीली और समावेशी बना रहना सुनिश्चित करने के लिए अपनी विवेकपूर्ण और पर्यवेक्षी नीतियों को बेहतर करना जारी रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई नीतिगत उपायों की शुरुआत की गई। इनमें शामिल हैं - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाए जाने हेतु नए बैंक लाइसेंसों के लिए दिशानिर्देश जारी करना, एक गतिशील प्रावधानीकरण ढांचे के निर्माण हेतु प्रयास करना और बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के पुनर्निर्धारण हेतु नीतिगत परिवर्तनों को प्रभावी बनाना। भारत में विदेशी बैंकों के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्थाओं की स्थापना के लिए नीतिगत ढांचा तैयार किया गया। बैंकिंग संरचना पर एक चर्चा पत्र भी जारी किया गया और बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण अपनाया गया। बैंकों द्वारा स्वर्ण की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों तथा स्वर्ण की खरीद के लिए दिए जाने वाले बैंक ऋणों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उपायों की शुरुआत की गई। वित्तीय समावेशन में सुधार लाने तथा भुगतान और निपटान प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने के लिए भी कई नए उपाय किए गए।

1. परिचय

3.1 घरेलू संरचनात्मक कारकों ने प्रतिकूल बाह्य आर्थिक परिवेश के साथ मिलकर 2012-13 के दौरान और 2013-14 में अभी तक आर्थिक संवृद्धि को मंद बनाए रखा। 2012-13 के दौरान मौद्रिक नीति का रुझान उभरती हुई संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता में नपी-तुली सहजता के माध्यम से संतुलन बनाए रखने पर था। 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा मई की शुरुआत में मौद्रिक नीति में और सहजता बरती गई परंतु चलनिधि में कमी लाने के लिए जुलाई से विशेष उपाय भी किए गए ताकि विनिमय दर अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले समष्टि वित्तीय जोखिमों का समाधान किया जा सके। सितंबर 2013 से, बाह्य वातावरण में सुधार के संकेतों के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा असाधारण चलनिधि कठोरता के उपायों को सुविचारित रूप से वापस लेना प्रारंभ करने के बावजूद बढ़ते स्फीतिकारी दबावों को देखते हुए 20 सितंबर 2013 और 29 अक्तूबर 2013 को सम्पन्न दूसरी तिमाही समीक्षा -दोनों में रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की गई।

3.2 यद्यपि, हाल ही के वैश्विक वित्तीय संकट के वातावरण में भारतीय बैंकिंग उद्योग काफी हद तक सुरक्षित बचा रहा किंतु आस्ति गुणवत्ता में हो रही गिरावट एक प्रमुख चिंता के रूप में उभर कर सामने आयी। वैश्विक वित्तीय संकट से यह बात प्रमुखता से सामने आयी है कि समष्टिगत पक्ष को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण नीतियों का पुनर्विन्यास किए जाने की जरूरत है। इस प्रकार उभरते हुए वैश्विक और घरेलू परिवेश में, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों की निरंतर समीक्षा करता रहा और इन्हें संतुलित बनाए रखा ताकि बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़, लचीली और समावेशी बनाया जाना सुनिश्चित किया जा सके और यह विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम हो सके। इसी क्रम में, 2012-13 के दौरान और 2013-14 में अभी तक बैंकिंग क्षेत्र में की गई विभिन्न नीतिगत कदमों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है जिसमें विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों के संबंध में विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है।

2. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति में संवृद्धि के प्रति जोखिमों पर तथा मुद्रास्फीति पर निगरानी बनाए रखने पर ध्यान दिया गया है

3.3 2012-13 के दौरान मौद्रिक नीति का रुझान मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाए जाने के लक्ष्य को खतरे में डाले बिना संवृद्धि की तीव्र गिरावट का समाधान कर इसको गति प्रदान करने पर था। वर्ष के प्रारंभ में ही प्रमुख नीतिगत दरों में कमी की गई थी जो अप्रैल 2012 में रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती के रूप में रही। इससे पूर्व मौद्रिक नीति में बरती गई कड़ाई और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लाभकारी प्रभाव का परिणाम दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति दर में कुछ कमी के रूप में सामने आया। वर्ष की दूसरी छमाही में हैडलाइन थोक

मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) औसतन 7.0 प्रतिशत पर बनी रही जो कि पहली छमाही में 7.7 प्रतिशत थी। मार्च 2013 को डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति अंक- दर-अंक आधार पर घटकर 5.7 प्रतिशत रह गई।

3.4 2012-13 की दूसरी छमाही में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति से पैदा हुए नीतिगत अंतराल का प्रयोग करते हुए रिजर्व बैंक ने जनवरी 2013 और मार्च 2013 -दोनों में रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की, जिससे 2012-13 में संचयी आधार पर 100 आधार अंकों की कटौती का मार्ग प्रशस्त हुआ। मई 2013 में रेपो दर में फिर से 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 7.25 प्रतिशत कर दिया गया ताकि संवृद्धि के प्रति बढ़ते हुए जोखिमों का समाधान किया जा सके। यद्यपि इस बात को ध्यान में रखा गया कि मुद्रास्फीति के बढ़ जाने के जोखिम अभी भी उल्लेखनीय रूप से बने हुए थे।

3.5 2013-14 की पहली तिमाही में कम होने के बाद थोकमूल्य सूचकांक में फिर से बढ़ोतरी होने लगी। खुदरा मुद्रास्फीति, जिसे ग्राहक मूल्यसूचकांक से मापा जाता है, निरंतर अधिक बनी रही। बढ़ते हुये मुद्रास्फीतिक दबाव को कम करने की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और स्फीतिकारी आशंकाओ पर अकंशु लगाकर संवृद्धि के आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए सितंबर की मध्यावधि तिमाही समीक्षा और अक्तूबर 2013 की दूसरी तिमाही समीक्षा-दोनों में रेपों रेट में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 7.75 प्रतिशत कर दिया गया।

चलनिधि की तनावपूर्ण स्थिति के समाधान हेतु किए गए उपाय

3.6 वर्ष 2012-13 को उल्लेखनीय रूप से चलनिधि की तनावपूर्ण स्थिति वाली अवधि के रूप में चिह्नित किया गया। ऐसा कई प्रमुख कारणों से हुआ जिनमें शामिल थे - सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के पास अत्यधिक नकदी शेष रखा जाना, मुद्रा की मजबूत मौसमी मांग, विदेशी मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक के किए गए हस्तक्षेप और बैंकों के जमा संग्रह और क्रेडिट उठाव के बीच का अंतर। रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि के प्रबंधन के लिए कई उपाय किए गए। 2012-13 में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में तीन चरणों में संचयी रूप से 75 आधार अंकों की कमी कर इसे बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 4.0 प्रतिशत कर दिया गया जो 1974 के बाद इसका न्यूनतम स्तर है। अगस्त 2012 में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में 100 आधार अंकों की कटौती कर इसे बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 23.0 प्रतिशत कर दिया गया। 2012-13 के दौरान दैनिक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) परिचालनों के माध्यम से चलनिधि का प्रवाह बढ़ाने के साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खुले बाजार (ओएमओ) परिचालनों द्वारा ₹1.5 ट्रिलियन मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद भी की गई।

3.7 वर्ष 2013-14 के दौरान चलनिधि की स्थिति में सामान्य रूप से सुधार हुआ जिसके प्रमुख कारण सरकार द्वारा नकदी शेषों का अधिक आहरण और जमा और ऋण वृद्धि के बीच के अंतर का संकुचन था। घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में विनिमय दर अस्थिरता को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2013 के मध्य से कई उपाय किए। इन उपायों में शामिल थे - एमएसएफ दर और बैंक दर में 200 आधार अंकों की वृद्धि कर इसे 10.25 प्रतिशत करना, खुले बाजार में ₹120 बिलियन मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी की घोषणा, एलएएफ के तहत उधार लेने की सुविधा को प्रत्येक बैंक के लिए उसकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 0.5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लगाना और सीआरआर के न्यूनतम दैनिक रखरखाव में वृद्धि कर उसे पाक्षिक आधार पर दैनिक औसत आवश्यकता के 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 99 प्रतिशत कर देना। इसके अलावा 8 अगस्त 2013 को रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार नकदी प्रबंधन बिलों (सीएमबी) की नीलामी की घोषणा की। तदनुसार, आगे के सप्ताहों में ₹960 बिलियन मूल्य के नकद प्रबंध बिलों (सीएमबी) की नीलामी हुई।

3.8 विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिति में हुए सुधार के मद्देनजर रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2013 की अपनी मध्य-तिमाही समीक्षा में जुलाई मध्य के बाद से खास तौर पर उठाए गए कदमों की नपी-तुली वापसी शुरू कर दी। एमएसएफ दर में 75 आधार अंकों की कटौती कर इसे 9.5 प्रतिशत और सीआरआर के न्यूनतम दैनिक रखरखाव को घटाकर औसत पाक्षिक आवश्यकता का 95 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, चलनिधि स्थिति के मूल्यांकन और मौसमी ऋण की मांग में उठाव, त्योहार से संबंधित मुद्रा की मांग तथा 2013-14 की दूसरी छमाही में सरकार के उधारी कार्यक्रम की प्रत्याशा में चलनिधि दबाव को कम किए जाने को ध्यान में रखकर

रिज़र्व बैंक द्वारा 7 अक्तूबर 2013 को ओएमओ परिचालन द्वारा ₹99.74 बिलियन की खरीद की गई। इसके अतिरिक्त, धीरे-धीरे सामान्य स्थितियों की बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, एमएसएफ दर में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 9.5 प्रतिशत से 9.0 प्रतिशत किया गया और 7 अक्तूबर 2013 को एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त चलनिधि सुलभ कराए जाने हेतु आवधिक रेपो की घोषणा भी की गई। 7 दिवसीय सावधि रेपो का पहला दौर 11 अक्तूबर 2013 (₹190 मिलियन) को आयोजित किया गया और इसके बाद 14 दिवसीय सावधि रेपो 18 अक्तूबर 2013 (₹195 मिलियन) को आयोजित किया गया। इन उपायों के फलस्वरूप, अक्तूबर 2013 में चलनिधि की स्थिति सहज हो गई। रिज़र्व बैंक ने 2013-14 की मौद्रिक नीति की अपनी दूसरी तिमाही समीक्षा में एमएसएफ दर में 25 आधार अंकों की और कटौती कर इसे 8.75 प्रतिशत कर दिया और रेपो दर में 25 आधार अंकों से वृद्धि कर इसे 7.75 प्रतिशत कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप, ब्याज दर दायरे सामान्य मौद्रिक नीति परिचालनों से तालमेल बैठने की प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने 7 दिवसीय और 14 दिवसीय सावधि रेपो के जरिए चलनिधि तक पहुँच में वृद्धि की और इसे बैंकिंग प्रणाली के एनडीटीएस के 0.25 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत कर दिया।

3.9 इस प्रकार, मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और संवृद्धि को बढ़ावा देने के बीच संतुलन स्थापित करने जैसा कठिन कार्य करने के साथ ही बढ़े हुए चालू खाता घाटे से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का समाधान भी करना है।

3. ऋण वितरण

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की सीमाओं में वृद्धि की गई ताकि कतिपय क्षेत्रों को अधिक ऋण प्रवाह सुलभ कराया जा सके

3.10 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कुछ खंडों में ऋण प्रवाह बढ़ाये जाने को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2013 से ऋण सीमाओं का विस्तार किया गया। कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि, दोनों के तहत किसानों को कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/दृष्टिबंधक रखकर दिए जानेवाले 12 माह से अनधिक अवधि के ऋणों की सीमा ₹2.5 मिलियन से बढाकर ₹5 मिलियन कर दी गई है जबकि उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों, बीजों, पशु खाद्य, कुक्कुट आहार, कृषि औजारों और अन्य निविष्टियों आदि के डीलरों/विक्रेताओं को दिए जानेवाले ऋणों की सीमा प्रति उधारकर्ता ₹10 मिलियन से बढ़ाकर ₹50 मिलियन कर दी गई है। इसी प्रकार सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रदान करने में संलग्न सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दी जानेवाली बैंक ऋण सीमाएं ₹20 मिलियन से बढाकर ₹50 मिलियन प्रति उधारकर्ता/इकाई कर दी गई हैं बशर्ते वे एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित किए अनुसार उपस्कर हेतु निवेश मानदंड को पूरा करते हों।

रुपया निर्यात ऋण - ब्याज सहायता योजना को बढ़ाया जाना

3.11 निर्यात को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से सरकार ने 2013-14 के लिए कतिपय रोजगारोन्मुख क्षेत्रों, यथा- हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों, रेडीमेड कपड़े, प्रसंस्कृत कृषि सामान, खेल का सामान एवं खिलौने। इसके अलावा, 2013-14 के लिए इंजीनियरिंग वस्तुओं की 235 टैरिफ लाइनों तथा आईटीसी(एचएस) तथा टैक्सटाइल सामानों की 6 टैरिफ लाइनों को ब्याज अनुदान भी प्रदान किए गए। साथ ही, सरकार ने 1 अगस्त 2013 से ब्याज अनुदान की दर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

एमएसई के पुनर्वास हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए

3.12 एमएसई को आंतरिक/बाहरी कारकों से प्रेरित संरचनात्मक और अन्य बाधाओं के चलते रुग्णता का खतरा बना रहता है। चूंकि ये उद्यम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते इसलिए वे मामूली अवरोधों के प्रति भी अतिसंवेदनशील होते हैं और जल्द ही रुग्णता की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। यदि तनाव के शुरुआती लक्षणों का तुरंत समाधान नहीं किया जाए तो इसका उद्यम पर काफी गंभीर असर हो सकता है और ज्यादातर मामलों में यह इकाई को बंद करने की दिशा में ले जा सकता है। रुग्ण इकाई की पहचान की प्रक्रिया को तेज करने, शुरुआती रुग्णता का जल्दी पता लगाए जाने और किसी इकाई को अलाभकारी घोषित करने से पहले बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के निर्धारण हेतु रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 2012 को एमएसई क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।

एमएसई क्षेत्र को ऋण वृद्धि पर निगरानी हेतु संरचनात्मक प्रणाली का सुझाव दिया गया

3.13 एमएसई क्षेत्र को देय ऋण में वृद्धि में गिरावट से हो रही चिंताओं को देखते हुए इस क्षेत्र में ऋण संबंधी समस्त मुद्दों की निगरानी हेतु बैंकों के लिए एक संरचनात्मक प्रणाली के बारे में

सुझाव देने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के नेतृत्व में एक उप समिति (अध्यक्षः श्री के.आर.कामथ) का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 9 मई 2013 को दिशानिर्देश जारी किए गए जिनमें कहा गया है कि - इस क्षेत्र को देय ऋण में वृद्धि पर निगरानी हेतु अपनी मौजूदा प्रणाली को मजबूत बनाए जाने और बैंक में विभिन्न पर्यवेक्षी स्तरों अर्थात क्षेत्र, अंचल, बैंक स्तर आदि पर एक प्रणाली-आधारित व्यापक कार्यनिष्पादन प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित की जानी चाहिए और नियमित आधार पर इसका गंभीरता से मूल्यांकन किए जाने की भी जरूरत है; एमएसई ऋण आवेदनों के लिए ई-ट्रेकिंग की व्यवस्था लागू करने और बैंकों में ऋण आवेदनों की निपटान प्रक्रिया पर शाखा-वार, क्षेत्र-वार, अंचल-वार और राज्य-वार स्थितियों के साथ निगरानी करने की जरूरत है तथा रुग्ण एमएसई इकाइयों के समयबद्ध पुनर्वास पर निगरानी रखी जाए।

माइक्रो फाइनैंस

एसएचजी - बैंक सहबद्धता कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) का एसएचजी 2 में परिवर्तन

3.14 एसएचजी-बीएलपी बैंकिंग सुविधा से वंचित गरीबों के लिए बचत आधारित एक ऋण उत्पाद है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने एसएचजी-बीएलपी को एसएचजी-2 में बदले जाने की प्रक्रिया शुरू की। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य गरीबों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें समूहों के लिए स्वैच्छिक बचत की शुरुआत करने वाले एसएचजी और एसएचजी सदस्यों को अपनी बची हुई राशि जमा किए जाने हेतु वैयक्तिक बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित करने वाले बैंक शामिल हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य कम पढ़े-लिखे और कम आय वाले ग्राहकों को समुदाय बैंकिंग से वैयक्तिक बैंकिंग की ओर उत्तरोत्तर स्थानांतरित किए जाने हेतु प्रयास करना भी है। एसएचजी2 का दूसरा पहलू एसएचजी को अभी दिए जा रहे नियत अवधि के सावधि ऋणों की बजाए एक लंबी परिचालन अवधि के नकदी ऋण/ ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराना है। यह बदलाव एसएचजी को उनकी निरंतर ऋण जरूरतों को पूरा करने में काफी लचीलापन प्रदान करता है; इससे उनकी ऋण लागतों में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।

3.15 यह भी देखा गया है कि 1-2 ऋण चक्र के बाद परिपक्व एसएचजी अलग तरह की ऋण और वित्तीय सेवा की जरूरतों को प्रदर्शित करने लगते हैं। ऐसी जरूरतें एसएचजी सदस्यों की जोखिम उठाने की क्षमता और उद्यशीलता कौशल के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। इसने एसएचजी के भीतर ही संयुक्त दायित्व समूहों (जेएलजी) के उभरने की राह भी दिखाई है।

4. वित्तीय समावेशन

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश

3.16 मनरेगा[1] मजदूरी, अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ जिनमें केरोसिन, रसोई गैस और उर्वरकों पर सब्सिडी के संबंध में प्रस्तावित नकदी अंतरण शामिल हैं, के भुगतान हेतु इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण (ईबीटी) योजना के सुचारू क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के क्रम में 30 नवबंर 2011 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए थे और उनसे 2000 से कम आबादी वाले गांवों में रहने वाले लोगों सहित सभी लाभार्थियों के आधार-समर्थित बैंक खाते खोलना सुनिश्चित किए जाने हेतु कहा गया था। बैंकों को शाखा या कारोबारी प्रतिनिधि (बीसी) या अन्य साधनों के माध्यम से दूरदराज के स्थानों में अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए सूचित किया गया ताकि डीबीटी के लागू होने तक हर पात्र व्यक्ति का एक बैंक खाता खुल सके। अक्तूबर 2012 में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), संबंधित राज्यों के संयोजक बैंकों और चयनित जिलों के लीड बैंकों को राज्य के प्रशासक और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन से जुड़ी एजेंसियों से के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया ताकि आधार-समर्थित भुगतान प्रणाली की सुचारू शुरूआत सुनिश्चित की जा सके।

बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में डीबीटी योजना की सुविधा देने के लिए शाखा विस्तार

3.17 भारत सरकार की डीबीटी/ईबीटी योजना को बाधारहित रूप में प्रारंभ करने के लिए बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में तेजी से शाखा विस्तार की सुविधा देने के लिए बैंकों को 28 मई 2013 को अनुदेश जारी किए गए कि वे तीन-वर्षीय चक्र की तुलना में बैंक रहित ग्रामीण

[1] महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

केंद्रों में शाखाओं को खोलने में वरीयता (प्राथमिकता) प्रदान करने पर विचार करें जो 2013-16 के उनके वित्तीय समावेशन प्लान के साथ ही साथ लागू होगा।

भारतीय महिला बैंक लि. की स्थापना

3.18 सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन से संबंधित जेंडर संबंधी पहलुओं की बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2013-14 में ₹10 बिलियन की प्रारंभिक पूंजी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में भारत का पहला महिला बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसके अनुक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 सितंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक लि. को लाइसेंस दिया। प्रस्तावित भारतीय महिला बैंक का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में होगा। यह अपनी कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (अद्यतन जनगणना के अनुसार 9,999 तक की आबादी) में खोलेगा। यह घरेलू बैंकों के लिए यथा लागू प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों का भी पालन करेगा।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता में सुधार करने के उपाय

3.19 लेखांकन, वित्त पोषण और व्यापार योजना सहित वित्तीय साक्षरता और परिचालन कुशलता की कमी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम उधारकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा सुलभता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अपने आकार और विस्तार की कमी के कारण भी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए 1 अगस्त 2012 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं कि बैंक या तो अपनी शाखाओं में विशेष कक्ष बनाएं अथवा इस क्रिया-कलाप को तुलनात्मक लाभ के लिए अपने वित्तीय साक्षरता केंद्रों के साथ सीधे ही एकीकृत कर दें। इस क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक स्टाफ को भी विशेष रूप से बनाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षित किया जाए।

3.20 इस क्षेत्र में नए उद्यमियों को दिशानिर्देश देने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त 2013 को ''नरचरिंग ड्रीम्स, इंपावरिंग इंटरप्राइज़ेज - फाइनैंसिंग नीड्स ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज़ेज- ए गाइड'' नामक बुकलेट जारी की है। यह बुकलेट उभरते हुए उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के साथ अपने को जोड़ने का लाभ उठाने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देती है।

वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना (एसजीएसवाई) को राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में रूपांतरित किया गया

3.21 भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2013 से स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना (एसजीएसवाई) को राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में रूपातंरित कर दिया है। एनआरएलएम को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित[2]) के माध्यम से परिचालित किया जा रहा है। शुरुआत में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक चिह्नित ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को, जिसमें महिला को वरीयता प्रदान की जाएगी, एक समयबद्ध रूप में स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के तहत लाया जाए।

3.22 यह योजना यह भी सुनिश्चित करेगी कि निर्धनों को निम्नलिखित के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान किया जाएः अपने संस्थानों का प्रबंधन करना, बाजारों से जुड़ना, अपनी मौजूदा जीविका का प्रबंधन करना और अपनी ऋण लेने की क्षमता तथा ऋण पात्रता को बढ़ाना। एनआरएलएम मांग और आपूर्ति दोनो ओर से सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेगा। मांग पक्ष की ओर से यह निर्धनों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करेगा और स्वयं सहायता समूहों और उनके फैडरेशनों को उत्प्रेरक पूंजी (कैटेलिटिक कैपिटल) मुहैया कराएगा। आपूर्ति पक्ष की ओर यह वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय का कार्य करेगा और आईसीटी आधारित वित्तीय प्रौद्योगिकियों, कारोबार प्रतिनिधियों और 'बैंक मित्र' जैसे सामुदायिक सुविधाप्रदाता के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। आशा है कि एनआरएलएम 12वीं पंच-वर्षीय योजना के अंत तक सभी जिलों तक पहुंच जाएगा।

[2] क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

वित्तीय समावेशन और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों को सरल बनाया गया

3.23 केवाईसी दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों के कारण ग्राहकों को हो रही कुछ परिहार्य असुविधाओं को दूर करने के लिए रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों को बैंक खाता खोलने अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाता अंतरित करने में हो रही असुविधा को कम करने के उपाय किए। यदि खाता खोलने के फार्म पर और पहचान प्रस्तुत करने के दस्तावेज में एक जैसे ही पते हैं तो उस दस्तावेज (जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस) को ही पहचान और पते दोनों के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा कार्ड को भी खाता खोलने के वैध आधिकारिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा और इसके लिए 'छोटे खाते' की परिभाषा को सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा, नए रोज़गार या स्थानांतरण होने के कारण जो ग्राहक किसी नए स्थान पर स्थानांतरित हो रहे हैं उनके लिए भी इसे सरल बनाया गया है। इसके अलावा, धन-शोधन निवारण नियमावली, 2005 के तहत यथा परिभाषित ''लाभार्थी स्वामी'' को चिह्नित करने के लिए भी बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

5. विवेकपूर्ण विनियामक नीति

वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने और प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस देना

3.24 2010-11 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार रिज़र्व बैंक ने 29 अगस्त 2011 को जनता की टिप्पणियों के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया। दिसंबर 2012 में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन होने के बाद 22 फरवरी 2013 को अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2013 थी। रिज़र्व बैंक को नए बैंकों के लाइसेंस के लिए 26 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन अभी प्रक्रियाधीन हैं। एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति इन आवेदनों की समीक्षा करेगी। समिति अपनी सिफारिशें रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगी और इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। नए बैंकों को लाइसेंस देने का औचित्य वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना, समावेशी आर्थिक संवृद्धि को सहयोग देना और बैंकिंग क्षेत्र में बेहतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

3.25 दिशानिर्देशों के अनुसार, निजी क्षेत्र के निकाय/समूह, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास है, और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं बैंक स्थापित करने के लिए पात्र हैं। मौजूदा गैर-बैंकिंग कंपनियों के प्रवर्तक/प्रवर्तकों का समूह, यदि पात्र पाए जाते हैं, तो वे बैंक स्थापित करने के लिए पात्र है। प्रवर्तक/प्रवर्तकों का समूह वित्तीय रूप से सुदृढ़ होने चाहिए और उसके पास पिछले 10 वर्षों का सफल ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए और साथ ही उसके पास सुदृढ़ साख और सत्यनिष्ठा का भी पिछला रिकार्ड होना चाहिए। प्रवर्तक/प्रवर्तक समूहों के व्यापार मॉडल और व्यापार व्यवहार बैंकिंग मॉडल के साथ प्रतिकूल नहीं होने चाहिए और उनके व्यापार से बैंक और बैंकिंग प्रणाली को किसी प्रकार का संभावित जोखिम नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से उनकी सामूहिक गतिविधियों जैसे कि इस प्रकार के कार्य जिनकी प्रकृति प्रत्याशित हो अथवा वे उच्च आस्ति मूल्य अस्थिरता वाली हों। आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली व्यापार योजनाएं वास्तविक और व्यवहार्य होनी चाहिए और उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि बैंक किस प्रकार वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा। बैंक अपनी कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलेगा। बैंक मौजूदा घरेलू बैंकों के लिए यथा लागू प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों का पालन भी करेगा।

3.26 निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-परिचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनियों (एनओएफएचसी) के जरिए की जाएगी। कोई भी एनओएफएचसी किसी प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह के पूर्ण स्वामित्व में होगी। नए बैंक के लिए प्रारंभिक न्यूनतम प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी ₹5 बिलियन होगी। एनओएफएचसी प्रारंभ में बैंक की प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी का न्यूनतम 40 प्रतिशत अपने पास रखेगी जो कि पांच वर्ष की सीमा में आबद्ध रहेगी। एनओएफएचसीएक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत होगी और वह रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित कार्पोरेट अभिशासन और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करेगी। बैंक की स्थापना के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा ''सैद्धांतिक अनुमोदन'' देने के बाद एनओएफएचसी और बैंक की वास्तविक स्थापना, नियमन-योग्य वित्तीय सेवा निकायों को एनओएफएचसी के तहत लाने के लिए प्रवर्तक सूमह निकायों

का पुनर्गठन और साथ ही साथ एनओएफएचसी के तहत निकायों के बीच व्यापार का पुनः-रेखीकरण ''सैद्धांतिक अनुमोदन'' की तारीख से अथवा बैंकिंग व्यापार शुरू करने की तारीख से, जो भी पहले हो, 18 महीनों की अवधि के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। निजी क्षेत्र के नए बैंकों में लाइसेंस प्राप्त करने की तारीख से पहले पांच वर्षों के लिए एफडीआई, एनआरआई और एफआईआई की समग्र अनिवासी शेअर-होल्डिंग प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी की 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद अनिवासी शेअर-होल्डिंग विद्यमान एफडीआई नीति के अनुसार होगी।

विदेशी बैंकों के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्थाओं की स्थापना के लिए ढांचा निर्धारित किया गया

3.27 रिज़र्व बैंक ने विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्थाएं (डब्ल्यूओएस) स्थापित करने के संबंध में दिशानिर्देश 6 नवंबर 2013 को जारी किए। ये नीतिगत दिशानिर्देश आदान-प्रदान और उपस्थिति के एकल रूप के दो मूलभूत सिद्धातों से निर्देशित हैं। स्थानीय रूप से गठित बैंक के रूप में पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्था के साथ लगभग राष्ट्रीय स्वरूप वाला व्यवहार किया जाएगा और इसके चलते उन्हें भारतीय बैंकों के समान ही देश में कहीं भी (ऐसे कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर जहां रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति आवश्यकता होती है) शाखाएं खोलने की अनुमति होगी। यह नीति वर्तमान विदेशी बैंकों की शाखाओं को प्रोत्साहित करती है कि वे पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्था में परिवर्तित हो जाएं क्योंकि इससे उन्हें लगभग राष्ट्रीय स्वरूप का व्यवहार मिलता है। वैश्विक आर्थिक संकट से मिले सबक के मद्देनजर ऐसे परिवर्तन वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से भी वांछनीय हैं।

3.28 नीतिगत दिशानिर्देश स्पष्ट करते हैं कि जटिल संरचना वाले बैंक, ऐसे बैंक जो अपने गृह क्षेत्राधिकार में पर्याप्त प्रकटीकरण नहीं उपलब्ध कराते हैं, ऐसे बैंक जिन्हें व्यापक रूप से नहीं अपनाया गया है, ऐसे बैंक जिनमें यह विधान होता है कि वे समापन की प्रक्रिया आदि में गृह क्षेत्राधिकार के जमाकर्ताओं के दावों को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए केवल डब्ल्यूओएस माध्यम से ही भारत में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। तथापि, ऐसे विदेशी बैंक जिनके मामले में उपर्युक्त शर्तें लागू नहीं होती हैं वे अपनी उपस्थिति के लिए या तो शाखा या फिर डब्ल्यूओएस रूप के विकल्प का चयन कर सकते हैं। ऐसे विदेशी बैंक जो उपस्थिति के लिए शाखा रूप के विकल्प का चयन करते हैं और जब कभी उपर्युक्त शर्तें उन पर लागू हो जाती हैं या जब वे भारत में अपने तुलन-पत्र के आकार के चलते प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तब उन्हें डब्ल्यूओएस में परिवर्तित होना पड़ेगा। ऐसे विदेशी बैंक जिन्होंने भारत में अपना बैंकिंग कारोबार अगस्त 2010 के पहले शुरू किया था, उनके पास यह विकल्प होगा कि वे शाखा माध्यम के जरिए अपना बैंकिंग कारोबार जारी रखें, तथापि उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे डब्ल्यूओएस में परिवर्तित हो जाएं। विदेशी बैंकों के प्रभुत्व को रोकने के लिए विदेशी बैंकों के नए डब्ल्यूओएस/पूंजी अंतर्प्रवाह के भावी आगमन पर तब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा जब भारत में विदेशी बैंक शाखाओं और डब्ल्यूओएस की पूंजी एवं आरक्षित निधि बैंकिंग प्रणाली की पूंजी और आरक्षित निधि के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाए। नए डब्ल्यूओएस प्रवेशकों के लिए प्रारंभिक न्यूनतम प्रदत्त वोटिंग इक्विटि पूंजी ₹5 बिलियन होगी। वर्तमान विदेशी बैंकों की शाखाएं जो डब्ल्यूओएस में परिवर्तित होने के इच्छुक हों उनके लिए न्यूनतम निबल मालियत ₹5 बिलियन होगी। घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की भांति डब्ल्यूओएस के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार की आवश्यकता 40 प्रतिशत होगी और वर्तमान विदेशी बैंक शाखाओं को डब्ल्यूओएस में बदलने के लिए पर्याप्त अवधि होगी। कॉर्पोरेट अभिशासन के दृष्टिकोण से भी कुछ उपाय किए जाएंगे ताकि जन-हित की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

शाखा प्राधिकार नीति में दी गई रियायतें

3.29 शाखा प्राधिकार नीति को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक भाग में भली प्रकार से प्रबंधित सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए शाखा बैंकिंग को पूर्णतया मुक्त कर दिया गया। 19 सितंबर 2013 को रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को बैंक शाखाएं खोलने के लिए सामान्य अनुमति और उत्तर पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम, ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केंद्रो में प्रत्येक मामले में, रिपोर्ट भेजने की शर्त के तहत, रिज़र्व

बैंक से अनुमति प्राप्त किए बिना, शाखा खोलने की अनुमति, कुछ शर्तों के अधीन, अब टियर I केंद्रो में स्थित शाखाओं को भी दे दी गयी है।

बैंकिंग ढांचे पर चर्चा-दस्तावेज जारी किया गया

3.30 27 अगस्त 2013 को '' बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया - द वे फॉरवर्ड'' नामक चर्चा-दस्तावेज जारी किया गया। इस चर्चा-दस्तावेज ने बैंकिंग ढांचे के पुनर्गठन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिह्नित किया गया ताकि प्रतिस्पर्द्धा वृद्धि, उच्चतर सवृंद्धि का वित्तपोषण, विशिष्ट सेवाएं देना और वित्तीय समावेशन बढ़ाने जैसे विभिन्न मुद्दों से संबंधित समस्याओं का निदान किया जा सके। पुनर्गठन का समग्र जोर इस बात पर है कि बदलते हुए बैंकिंग ढांचे में गतिशीलता और लचीलापन लाया जा सके और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि ढांचा आघातसहनीय बना रहे और वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करता रहे। इस चर्चा-दस्तावेज में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर किया गया जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं - छोटे बैंक बनाम बड़े बैंक, सार्वभौमिक बैंकिंग, शहरी सहकारी बैंकों का वाणिज्य बैंकों में परिवर्तन, बैंकिंग क्षेत्र में एकीकरण, भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सरकारी स्वामित्व, भारतीय बैंकों की विदेशों में उपस्थिति और जमा बीमा।

बैंकों के लिए गतिशील प्रावधानीकरण पर विचार

3.31 बैंकों के लिए एक गतिशील और प्रतिचक्रीय घटक के साथ विस्तृत प्रावधानीकरण ढांचे के निर्माण के लिए विचार किया जा रहा है ताकि मौजूदा प्रावधानीकरण नीति की सीमाओं को दूर किया जा सके। इस संबंध में 30 मार्च 2012 को जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए ''इंट्रोडक्शन ऑफ डायनेमिक प्रोव्हिजनिंग फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स इन इंडिया'' नामक चर्चा-दस्तावेज़ जारी किया गया। इस गतिशली प्रावधानीकरण ढांचे का मुख्य उद्देश्य यह है कि चक्रों के जरिए लाभ और हानि खाते पर अर्जित घाटों के प्रभाव को कम किया जा सके। प्रस्तावित ढांचे में बैंक उस समय बफर प्रोव्हिजनिंग एकत्र करेंगे जब अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है और दीर्घावधि औसत की तुलना में बैंकों की ऋण हानियां कम हैं। धीमी संवृद्धि/नकारात्मक संवृद्धि के दौर में जब बैंकों की ऋण हानियां बढ़ेंगी उस समय इस एकत्र किए गए बफर का उपयोग किया जाएगा। गतिशील प्रावधानीकरण के संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किया जाएंगे।

बड़ी (बल्क) जमाराशियों को परिभाषित किया गया

3.32 आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) के दृष्टिकोण से बल्क जमाराशियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। ''बल्क जमाराशिया'', शब्द को यद्यपि विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है फिर भी अंतर-परिवर्तनीयता के साथ इसे ''थोक जमाराशिया''के संदर्भ में उपयोग किया जाता है और कभी-कभी इसका उपयोग (एएलएम) दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी किया जाता है। 16 मई 2007 के भारतीय रिजर्व बैंक के स्पष्टीकरण के अनुसार 1.5 मिलियन रुपयों की जमाराशियों अथवा बैंकों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उच्चतर सीमा को ''थोक राशियों'' के रूप में परिभाषित किया गया है। इस स्थिति की समीक्षा की गयी है और यह निश्चित किया गया है कि 1 अप्रैल 2013 से ''बल्क जमाराशियों'' शब्द का उपयोग केवल रुपयों में की जाने वाली ₹10 मिलियन या उससे अधिक की मीयादी जमाराशियों के लिए ही किया जाएगा।

सट्टेबाजी के लिए स्वर्ण खरीद हेतु बैंक वित्तपोषण पर रोक

3.33 हाल के वर्षों में स्वर्ण आयात में हुई अत्यधिक वृद्धि चिंता का विषय है। किसी भी रूप में सोने की खरीद नामतः बुलियन/प्राथमिक स्वर्ण/गहने/स्वर्ण सिक्कों के लिए बैंक से सीधे वित्तपोषण लेने सट्टेबाजी हेतु स्वण मांग में तेजी आ सकती है। इस संबंध में बैंकों को सूचित किया गया कि 19 नवंबर 2012 से किसी भी रूप में स्वर्ण की खरीद के लिए बैंकों से किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जाएगा। इसमें प्राथमिक स्वर्ण, स्वर्ण बुलियन, स्वर्ण गहने, स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के यूनिट और स्वर्ण म्यूच्यूअल फंडों के यूनिट शामिल हैं। तथापि, बैंक जौहरियों की वास्तविक कार्यपूंजी आवश्यकताओं के लिए वित्तपोषण प्रदान कर सकते हैं।

स्वर्ण के प्रति बैंक उधारियों के संबंध में दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाना

3.34 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को बुलियन/प्राथमिक स्वर्ण के प्रति किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं देना चाहिए। तथापि, बैंकों द्वारा बेचे

जाने वाले विशेष रूप से बनाए गए स्वर्ण सिक्के 'बुलियन' अथवा 'प्राथमिक स्वर्ण' की प्रकृति में नहीं आते हैं। जैसा कि रिज़र्व बैंक के 5 अप्रैल 2011 के स्पष्टीकरण में भी दर्शाया गया था। अतः इन सिक्कों के प्रति किसी बैंक द्वारा ऋण देने पर भी कोई समस्या नहीं थी। तथापि, इसमें एक जोखिम यह था कि इनमें से कुछ सिक्के कहीं अधिक वजन के हो सकते थे और इस प्रकार रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश निष्प्रभावी हो सकते थे। तदनुसार, 27 मई 2013 से बैंकों को यह सूचित किया गया कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले विशिष्ट रूप से ढाले गये स्वर्ण सिक्कों की प्रतिभूति के प्रति दिये जाने वाले अग्रिम के संबंध में उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रति ग्राहक सिक्के का वजन 50 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और स्वर्ण आभूषणों, स्वर्ण जवाहरात और स्वर्ण सिक्कों (50 ग्राम तक वजन वाले) के प्रति किसी ग्राहक को दिये जाने वाले ऋण की राशि बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर होनी चाहिए। ''स्वर्ण बुलियन'' के प्रति दिये जाने वाले ऋण पर लगायी गयी रोक स्वर्ण ईटीएफ यूनिटों और स्वर्ण म्यूच्यूअल फंडों के यूनिटो के प्रति दिये जाने वाले अग्रिमों पर भी लागू होगी। इसी प्रकार के दिशा-निर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी जारी किये गए हैं।

निजी क्षेत्र के बैंको में शयरों के अधिग्रहण हेतु अनिवार्य पूर्वानुमति

3.35 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप भारत में पूंजी जुटाने के लिए बैंकिंग कंपनियों को सक्षम बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग कंपनियों का नियंत्रण ''सही और उचित व्यक्तियों'' के हाथों में ही रहे, बैंककारी अधिनियम 1949 में प्रावधान किया गया है। इसे भारत सरकार द्वारा लाये गये एक संशोधन नामतः, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस अधिसूचना की शर्तों के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए किसी बैंकिंग कंपनी के पांच प्रतिशत या उससे अधिक शेयर पूंजी का अधिग्रहण करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह अधिसूचना रिज़र्व बैंक को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करती है कि वह इन अनुमोदनों को जारी करने के समय वे शर्ते लगा सकें जो उसके अनुसार आवश्यक हैं। इस संबंध में शीघ्र ही बैंकों को दिशानिर्देश जारी किया जा रहे हैं।

रुपये की सावधि जमाराशियों की परिपक्वतापूर्व निकासी पर लगने वाली दंडात्मक दरों को पारदर्शी बनाई गईं

3.36 किसी जमाकर्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर कोई भी बैंक 10 मिलियन रुपये से कम की सावधि जमा राशि निकालने के अनुरोध को राशि जमा करते समय सहमत अवधि के पूरा होने के पूर्व भी स्वीकार करेगा। तथापि, बैंकों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे सावधि जमाराशियों की परिपक्वतापूर्व निकासी पर दंडात्मक ब्याज दर लगा सकेंगे। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जमाकर्ता को जमाराशि दरों के साथ-साथ लागू दंडात्मक दरों के बारे में भी जानकारी दी जाए।

कॉर्पोरेट के बचाव रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए जारी किए गये दिशानिर्देशों का प्रारुप

3.37 कॉर्पोरेट के बचावरहित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र न केवल वैयक्तिक रूप से कॉर्पोरेट के लिए बल्कि संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के लिए चिंता का विषय है। ऐसे कॉर्पोरेट जो अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए बचाव व्यवस्था नहीं रखते वे विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण काफी घाटा सहते हैं। इन घाटों के कारण बैंक से लिए गये ऋणों को चुकाने की उनकी क्षमता कम हो जाती है और इस प्रकार यह बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इस परिप्रेक्ष्य में बचाव रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाले कॉर्पोरेट के एक्सपोज़र हेतु वृद्धिशील प्रोविजनिंग और पूंजी अपेक्षाओं की गणना करने हेतु अपनाए जाने वाले तरीके पर रिज़र्व बैंक 2 जुलाई 2013 को दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया। प्रारूप दिशानिर्देशों में बैंकों से ये अपेक्षा की गयी है कि वे अपनी आंतरिक रेटिंग प्रकिया में कॉर्पोरेट के उच्च विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से पैदा होने वाले जोखिम का भी ध्यान रखे और संबंधित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ सूचना का आदान-प्रदान करें ताकि बैंक से इतर ऋण रेटिंग एजेंसी भी इस घटक को अपने जोखिम में शामिल कर सके। प्राप्त टिप्पणियों/फीड बैक के आधार पर रिज़र्व बैंक इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करेगा और बैंकों से ये अपेक्षित होगा कि वे 1 अक्तूबर 2013 से इसे लागू करें।

पृथक वाणिज्यिक भू-संपदा - आवासीय हाउसिंग संवर्ग बनाना

3.38 उतार-चढ़ाव से युक्त वाणिज्यिक भू-संपदा (सीआरई) एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर वैश्विक नियामकों ने कड़े विवेकपूर्ण

मानदंड लगाये हैं। रिज़र्व बैंक ने भी सौ प्रतिशत के उच्चतर जोखिम भार के रूप में कठोर विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं और अन्य मानक आस्तियों के लिए सामान्य रूप से लागू 0.4 प्रतिशत की सामान्य प्रावधानीकरण की निचली सीमा की तुलना में मानक सीआरई आस्तियों के लिए 1.0 प्रतिशत की उच्चतर प्रावधान किया है। तथापि, यह देखा गया है कि सीआरई ऐक्सपोजर के भीतर आवासीय हाउसिंग संवर्ग में संपूर्ण सीआरई क्षेत्र की तुलना में जोखिम और उतार-चढ़ाव कुछ कम है। तदनुसार, 21 जून 2013 को बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए कि वे सीआरई में से एक पृथक वाणिज्यिक भूसंपदा आवासिय हाउसिंग संवर्ग (सीआरई-आरएच) बनाएं और इसे 75 प्रतिशत का न्यूनतर जोखिम भार दें और सीआरई की तुलना में मानक आस्तियों के लिए 0.75 प्रतिशत की दर पर कम प्रावधान करें। सीआरई-आरएच में आवासिय हाउसिंग परियोजनाओं (कैप्टिव उपभोग हेतु छोड़कर) के लिए बिल्डरों/डेवलपरों को दिए गए ऋण शामिल होंगे। यह भी सूचित किया गया कि ऐसी परियोजनाओं में सामान्य रूप से गैर-आवासीय सीआरई शामिल नहीं होंगे।

ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे इंटरसोल प्रभारों में एकरूपता लाएं

3.39 इंटरसोल प्रभारों का तात्पर्य ऐसे प्रभारों से है जिन्हें कोर बैंकिंग समाधानवाले वातावरण में ''घरेलू शाखा'' से इतर किसी अन्य शाखा में ग्राहको द्वारा किए गए लेन-देनों के उपर लगाया जाता है। इस मुद्दे पर बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी समिति (अध्यक्षः श्री एम. दामोदरन) द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि बैंक, ग्राहकों के साथ उचित और तर्कपूर्ण रूप से बिना किसी भेद-भाव के और पारदर्शी तरीके से बैंकों/सेवाप्रदाता स्थानों की सभी शाखाओं पर समान व्यवहार करें। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे घरेलू शाखा और गैर-घरेलू शाखा पर अपने ग्राहकों के बीच में भेद-भाव न करें और एकसमान, उचित और पारदर्शी मूल्यनीति अपनाएं। तदनुसार, 1 जुलाई 2013 को रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को सूचित किया कि यदि कोई विशेष सेवा घरेलू शाखा पर निःशुल्क प्रदान की जाती है तो वह सेवा गैर-घरेलू शाखाओं पर भी निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों की पुनर्रचना के विवेकपूर्ण दिशानिर्देश में संशोधन

3.40 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों की पुनर्रचना के संबंध में मौजूदा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए बनाए गए कार्यदल (अध्यक्षःश्री बी. महापात्रा) की सिफारिशों के अनुसरण में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिए गए अग्रिमों की पुनर्रचना के संबंध में मौजूदा कुछ विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। कार्यदल ने यह सिफारिश की है कि अंतरराष्ट्रीय विवेकपूर्ण उपायों के समान ही ऋणों और अग्रिमों की पुनर्रचना संबंधी आस्ति वर्गीकरण के विषय में भारतीय रिज़र्व बैंक को विनियामकीय स्थिति से छूट देनी चाहिए। तथापि, घरेलू समष्टि आर्थिक स्थिति और वैश्विक स्थिति को भी देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस उपाय पर दो वर्ष के पश्चात विचार किया जाए। तदनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य परियोजना संबंधी ऋणों के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) के परिवर्तित होने के मामले को छोड़कर आस्ति वर्गीकरण पर विनियामकीय छूट 1 अप्रैल 2015 से हटाई जाएगी। इसके अलावा, सभी नए मानक पुनर्गठित खातों पर प्रोव्हिजनिंग अपेक्षा को 1 जून 2013 से बढ़ाकर 5.00 प्रतिशत किया गया है। पुनर्गठित मानक खातों के स्टॉक (31 मई 2013 की स्थिति के अनुसार) हेतु बढ़ी हुई प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को और अधिक क्रमिक रूप में लागू किया जाएगा जैसे 3.50 प्रतिशत - 31 मार्च 2014 से प्रभावी (2013-14 की 4 तिमाहियों तक विस्तारित); 4.25 प्रतिशत - 31 मार्च 2015 से प्रभावी (2014-15 की 4 तिमाहियों तक विस्तारित); और 5.00 प्रतिशत - 31 मार्च 2016 से प्रभावी (2015-16 की 4 तिमाहियों में विस्तारित)।

3.41 बैंकों को सूचित किया गया कि प्रवर्तकों द्वारा लाया गया उनका अंश और अतिरिक्त निधियां बैंकों के अंश के न्यूनतम 20 प्रतिशत अथवा पुनर्संरचित ऋण के 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा, ऋण का तरजीह प्राप्त शेयरों में परिवर्तन केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए और इक्विटी/तरजीह प्राप्त शेयरों में ऋण का इस प्रकार का परिवर्तन करने की एक सीमा होनी चाहिए जैसे कि पुनर्संरचित ऋण का 10 प्रतिशत।

बासेल II ढांचे के तहत उन्नत नाप दृष्टिकोण में आने की प्रक्रिया

3.42 जोखिम प्रबंधन ढांचे को उन्नत बनाने के उद्देश्य से और बासेल II फ्रेमवर्क तथा उभरते हुए अंतरराष्ट्रीय रुझानों के तहत सोचे गये उन्नत तरीकों को अपनाने से बैंकों को उपचित होने वाली संभावित पूंजी पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए 27 अप्रैल 2011 को उन्नत नाप दृष्टिकोण संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गये थे। उन्नत नाप दृष्टिकोण में जाने के लिए बैंकों के लिए आवेदन 1 अप्रैल 2012 से शुरू किए गए थे (बॉक्स III.1)।

बॉक्स III.1:
परिचालनगत जोखिम पूंजी गणना के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण लागू करने संबंधी मामला और चुनौतियां

परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए बासेल II ढांचे के तहत निर्धारित तीन तरीकों; बेसिक इंडीकेटर एप्रोच (बीआईए) और दि स्टैंडर्डाइज्ड एप्रोच (टीएसए) सहित; में से एडवांस मेज़रमेंट एप्रोच (एएमए) जोखिम के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील और परिष्कृत तरीका है। इस तरीके से बैंक के लिए आंतरिक जोखिम चरों और प्रोफाइलों के आधार पर आंतरिक नमूनों का उपयोग करते हुए विनियामक पूंजी प्रभार की गणना करना संभव हो जाता है और उसे सकल आय जैसे आभासी जोखिमों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। एएमए मुख्यतः चार घटकों पर निर्भर करता हैः आंतरिक हानि संबंधी आंकड़े, बाह्य हानि संबंधी आंकड़े, परिदृश्य विश्लेषण तथा परिचालनगत जोखिम पूंजी अनुमान के साथ ही समग्र परिचालनगत जोखिम प्रबंधक (ओआरएम) के लिए बारंबारता एवं तीव्रता नमूने हेतु व्यापार वातावरण और आंतरिक नियंत्रण घटक (बीईआईसीएफ)।

यद्यपि एएमए अपने साथ कई अपेक्षाएं लाता है फिर भी बैंकों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वे इसके लिए विशिष्ट नमूना पद्धति अपनाएं। फिर भी, अधिकतर बैंक आजकल हानि वितरण तरीके (एलडीए) की ओर अभिमुख हो चुके हैं। एलडीए में परिचालनगत जोखिम हानियों की तीव्रता और बारंबारता का विश्लेषण किया जाता है और उनका अलग नमूना बनाया जाता है। एक बार तीव्रता और बारंबारता की गणना हो जाने के पश्चात् मान्टे कार्लो अनुकरण तरीकों का उपयोग करते हुए सकल हानि वितरण विशिष्ट रूप से उत्पन्न किया जाता है (कोरीजिअन और अन्य 2013)।

एएमए में अंतरित होने के लिए इच्छुक भारतीय बैंकों द्वारा महसूस की जा रही मुख्य चुनौतियां

एएमए पद्धति को लागू करने में बैंकों को पेश आ रही प्रमुख चुनौतियों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, नामतः आंतरिक अभिशासन संबंधी मुद्दे, आंकड़ों संबंधी मुद्दे और नमूना निर्माण/मात्रात्मक गणना संबंधी मुद्देः

आंतरिक अभिशासन संबंधी मुद्दे

बासेल II परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचे में किसी प्रकार की चूक में सक्रिय रूप से शामिल होने की मुख्य जिम्मेदारी बैंक के वरिष्ठ प्रबंधतंत्र और बोर्ड पर डालता है। संसाधनों की कमी जहां ओआरएम प्रणालियों की स्वतंत्रता में बाधा डालती है और गुणवत्ता पहलुओं के साथ अनुपालन दिखाना बैंकों के लिए एक प्रमुख चुनौती है। किस प्रकार के बीईआईसीएफ पर विचार किया जाना है और उन्हें किस प्रकार परिचानलनगत जोखिम पूंजी गणना नमूने में ढालना है, इस संबंध में भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।

आंकड़े संबंधी मुद्देः

1. **आंतरिक हानि संबंधी आंकड़े**

   परिचालनगत जोखिम के लिए विस्तृत नमूनों का निर्माण करने में बैंकों के सामने जो प्रमुख चुनौती है वह है उपलब्ध आंतरिक परिचालनगत हानियों संबंधी आंकड़ों की कमी। भारत के सबसे बड़े बैंकों के पास भी पांच या छह वर्ष से अधिक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो मुख्यतः आंतरिक और बाह्य धोखाधड़ी संबंधी घटनाओं की श्रेणी में आते हैं। प्रणाली से उत्पन्न और प्रणाली के बाहर से प्रभाव डालने वाले उतार-चढ़ावों के आकार, उत्पाद जटिलता, व्यापार नमूनों, आंकड़ों की सीमाओं और भौगोलिक स्थितियों के कारण भी ये चुनौतियों और अधिक बढ़ जाती हैं।

2. **बाह्य हानि संबंधी आंकड़े**

   आंतरिक हानि संबंधी आंकड़ों की कमी के कारण एएमए नमूने में परिदृश्य विश्लेषण और बाह्य हानि संबंधी आंकड़ों का सम्पूरक रूप से उपयोग करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। उद्योगों के सहयोग से प्राप्त आंकड़ों की अनुपलब्धता, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से एकत्र आंकड़ों में रिपोर्टिंग और अन्य पूर्वाग्रहों के कारण उनकी सावधानी पूर्वक छंटनी, चुनाव और उन्हें संसाधित करना आवश्यक हो जाता है। आंकड़ों की छंटनी में आलोचनात्मक घटक के आ जाने से अनिश्चितता बढ़ जाती है और बाह्य आंकड़ों का उपयोग करते हुए बारंबारता और तीव्रता अनुमानों के परिणाम गलत निकल सकते हैं।

3. **परिदृश्य**

   यद्यपि विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित परिदृश्यों का उपयोग करके जोखिम की कीमत पर आधारित (वीएआर) हानि वितरण पद्धति (एलडीए) को सम्पूरित किया जा सकता है लेकिन परिदृश्यों की संभावना और अधिकतम अनुमानित तीव्रता में कुछ सीमा तक व्यक्तिपरकता आ जाएगी और यह एक प्रमुख चुनौती है।

माडलिंग/मात्रा संबंधी मुद्दे

i. *उच्च मापन मानक*

   उन्नत मापन दृष्टिकोण के अधीन 99.9 वे पर्सेंटाइल का मापन बहुत ही उच्च है और इसका अभिप्राय है कि बैंक वार्षिक हानि की मात्रा का

(जारी...)

(...समाप्त)

अनुमान लगाए जो औसतन प्रति 1000 वर्ष में होगी, जिसके लिए देखे गए डाटा की तुलना में 100 से 200 गुणा ऐक्स्ट्रापोलेशन की आवश्यकता होगी।

ii. *परिचालनगत हानि वितरणों का स्वरूप*

परिचालनगत हानियों को सामान्यतया ''हैवी-टेल्ड'' वितरण के रूप में देखा जाता है। विभिन्न सांख्यिकीय वितरणों या मॉडलिंग क्रियाविधियों में से किसी एक को चुन लेने से पूंजी पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है और इसलिए मॉडल त्रुटि होने की बहुत बड़ी संभावना बनी रहती है।

iii. *उच्च तीव्रता और निम्न बारंबारता हानियों का बाहुल्य*

उच्च तीव्रता और निम्न बारंबारता हानियों का बाहुल्य मापन के विभिन्न यूनिटों में देखी गई हानि की बारंबारता और तीव्रता में बहुत विभिन्नताएं हो सकती हैं, जिसमें उच्च बारंबारता निम्न तीव्रता हानि घटनाओं का बाहुल्य हो सकता है।

iv. *हानि के श्रेणीकरण के प्रति संवेदनशीलता (परचालिनगत जोखिम हानियों का मूर्त रूप में होना)*

विभिन्न कारोबारी पद्धतियों/अलग-अलग प्रकार की घटनाओं की मैट्रिक्स के लिए हानियों का विशिष्ट वितरण अलग-अलग प्रकार का होता है और केवल कुछ ही परिचालनगत जोखिम श्रेणियों में पर्याप्त आंतरिक हानि संबंधी डाटा उपलब्ध होता है।

v. *एएमए घटकों का एकीकरण*

चारों घटकों अर्थात् आंतरिक डाटा, संगत बाह्य परिचालनगत जोखिम डाटा, परिदृश्य विश्लेषण और परिचालनगत जोखिम वीएआर की गणना के लिए बीईआईसीएफ को जोड़ने की कार्यविधि एक चुनौतीपूर्ण काम है। तीव्रता के अर्थमितीय और सांख्यिकीय अनुमान में डाटा के विभिन्न स्रोतों को जोड़ देने से बहुत सी मात्रात्मक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं।

उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और मापन की महत्ता और मूल्य को कम-ज्यादा नहीं आंका जा सकता। वे बैंकों के मूल्य और पणधारकों के हितों की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तथापि, परिचालनगत जोखिम की गणना करने के लिए एएमए को कार्यान्वित करना एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिए सभी पणधारकों से एक सुनियोजित और समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके लिए ऐसी कार्यान्वयन कार्यपद्धति की आवश्यकता है जो ठोस हो और भली भांति समन्वित हो।

संदर्भ:

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (2011), "ऑपरेशनल रिस्क-सुपरवाइजरी गाइडलाइन्स फॉर द एडवांस मेजरमेंट एप्रोचेज", जून, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस)

कॉरिगैन जोश, नेल कैन्टल एवं फ्रेड वासवेन्कीज (2013), "इम्पलिमेंटिंग एंड इंटीग्रेटिंग नेक्सट जेनरेशन एनालिटिकल टेक्नीक्स इन द फाइनेंशियल इन्डस्ट्री", जो http://riskandsolevncy.co.uk पर उपलब्ध।

6. *पर्यवेक्षी नीति*

वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के मुख्य निर्णय

3.43 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षणीय और विनियामक प्रयासों का मूलभूत स्तंभ बना रहा। बीएफएस की बैठकों में निरीक्षण रिपोर्ट को और अधिक जोखिम आधारित बनाने और कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा सहित निरीक्षण योग्य कार्य योजना (मॉनीटरेबिल एक्शन प्लान-एमएपी) बनाने का निर्णय लिया गया और इसे बैंकों को सूचित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, पर्यवेक्षणीय चिंताओं पर केंद्रींकृत रूप से पर्यवेक्षण के दृष्टिकोण से ध्यान दिया जा सका। बीएफएस के निर्देशों/अनुदेशों के आधार पर कुछ क्षेत्रों जैसे कि बैंकों में केवाईसी/एएमएल[3] वातावरण, वास्तविक क्षेत्र/आवास क्षेत्र में बैंकों का जोखिम और एक निर्धारित सीमा से अधिक की गई प्रमुख धोखाधड़ियों के संबंध में थीमैटिक समीक्षाएं की गईं।

3.44 शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के संबंध में बीएफएस ने संशोधित श्रेणीवार पर्यवेक्षणीय कार्रवाई, दिशानिर्देशों के तहत शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय पुनर्गठन का अनुमोदन किया और शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौजूदा रेटिंग मॉडल को अधिक सरल बनाया। बीएफएस ने ग्रामीण ऋणदाता संसथाओं के संबंध में विनियमनों की समीक्षा की और लाइसेंस रहित जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को दिशानिर्देश जारी करने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की।

[3] धन-शोधन निवारण

बैंकों में आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण ढांचे को युक्तिसंगत बनाना

3.45 आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण ढांचे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बैंकों को 26 जून 2012 को सूचित किया गया कि वे बैंक के अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति/ परिवर्तन के लिए यथा लागू नीतिगत दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को प्रमुख, आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए भी लागू करें।

खाता खोलने/ खातों की निगरानी हेतु केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देश

3.46 13 सितंबर 2012 को बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों के खाते खोलने, जोखिम श्रेणीकरण और लेन-देनों की निगरानी करने के संबंध में समय-समय पर जारी केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि मौजूदा विनियमनों/ सांविधिक अपेक्षाओं का उल्लंघन होकर इस प्रकार के खातों में जमा/भुगतान की जाने वाली राशियों द्वारा ग्राहकों को किसी प्रकार की हानि उठानी पड़ती है तो इसके लिए पर्यवेक्षण संबंधी कार्रवाई के अलावा उन्हें ही इसके लिए जिम्मेदार भी माना जाएगा।

गैर-निष्पादन आस्तियों (एनपीए) और अग्रिमों की पुनर्संरचना की निगरानी

3.47 रिज़र्व बैंक ने 30 नवंबर 2012 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया कि वे अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, ऋण मूल्यांकन और मंजूरी प्रक्रिया, मंजूरी के बाद की निगरानी और उसकी अनुवर्ती कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त उपाय करें और उनके पास एक सशक्त एमआईएस प्रणाली होनी चाहिए जो आरंभिक कमजोरी/ विपत्ति का पूर्व आकलन कर सके और तत्संबंधी उपचारात्मक कार्रवाई करने और बैंक के बकाया की रिकवरी करने में सक्षम हो। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि अग्रिमों की पुनर्संरचना पारदर्शी तरीके से और वस्तुपरक रूप से की जानी चाहिए जो विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। एनपीए में कमी और पुनर्संरचित खातों की निगरानी की समीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिए।

बैंकों का जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

3.48 वाणिज्य बैंकों हेतु पर्यवेक्षणीय प्रक्रिया की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय संचालन समिति (अध्यक्षः डॉ. के.सी. चक्रवर्ती) की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में 28 सितंबर 2012 को बैंकों को अप्रैल 2013 से प्रारंभ होने वाले पर्यवेक्षणीय चक्र से जोखिम आधारित पर्यवेक्षणीय तरीके में होने वाले सन्निकट अंतरण के विषय में सूचित किया गया। उनसे यह भी कहा गया कि वे इस संबंध में की गई प्रगति की निगरानी रखने के लिए एक संस्थागत प्रणाली स्थपित करें और जोखिम आधारित प्रणालियों संबंधी मौजूदा उत्कृष्ट प्रथाओं का पालन करना सुनिश्चित करें।

बैंकों को अधिक परिचालनगत स्वायतत्ता देने के लिए धोखाधड़ी निगरानी प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना

3.49 रिज़र्व बैंक में प्रक्रियाओं और विधियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और बैंकों के उच्च प्रबंध तंत्र को और अधिक परिचालनगत स्वायतत्ता देने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों; जिनमें यह अपेक्षित था कि ₹10 मिलियन या उससे अधिक की राशि शामिल होने पर धोखाधड़ी के प्रयासों संबंधी मामलों की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को भेजी जाए; को 15 नवंबर 2012 से समाप्त कर दिया गया है। तथापि, बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे धोखाधड़ी के संबंध में ₹10 मिलियन या उससे अधिक की राशि शामिल होने वाले मामलों को अपने बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करते रहें।

बैंकों के खिलाफ मीडिया के आरोप और उनके संबंध में विनियामकीय कदम

3.50 मार्च 2013 में एक ऑनलाइन मीडिया पोर्टल ने निजी क्षेत्र के तीन बैंकों के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे। उनमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि ये बैंक ऐसी प्रक्रियाओं को तरजीह प्रदान कर रहे हैं जो धन-शोधन, स्वर्ण की बिक्री और बीमा एवं संपत्ति प्रबंधन जैसे तीसरे पक्षकारों के उत्पादों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

3.51 बैंकों के खिलाफ मीडिया द्वारा लगाए गए आरोपों से मार्च-मई 2013 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा 39 बैंकों की संवीक्षा की प्रक्रिया में तेजी आ गई। संवीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियमनों और अनुदेशों के उल्लंघन के लिए 36 बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। प्रत्येक मामले में तथ्यों की जांच करने के बाद प्रत्येक बैंक द्वारा दिए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि, व्यक्त की गई कुछ चिंताए तथ्यपूर्ण थीं और उनके संबंध में मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक था। 31 बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया गया।

3.52 बैंकों में केवाईसी/एएमएल प्रणालियों और अनुपालन के संबंध में की गई थीमैटिक सीमाक्षाओं से यह बात सामने आई कि बैंकों द्वारा बेहतर विनियामकीय अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में कुछ उपचारात्मक कार्रवाई करने करने के विषय में विचार किया गया और तत्पश्चात बैंकों को विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गएः (i) बैंकों द्वारा प्रस्तावित संपत्ति प्रबंधन सेवाओं के संबंध में ड्राफ्ट दिशानिर्देश; (ii) तीसरे पक्षकार के वित्तीय उत्पादों का विपणन एवं वितरण पर विस्तृत दिशानिर्देश; और (iii) केवाईसी मानदंडों/एएमएल मानकों/ वित्तीय आतंकवाद (सीएफटी) का सामना करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश।

3.53 थीमैटिक समीक्षाओं और उसके बाद की गई अनुवर्ती कार्रवाइयों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने बैंकों को की जाने वाली कार्रवाइयों के संबंध में एक सूची उपलब्ध कराई है। ऐसा महसूस किया गया है कि निरीक्षण और संवीक्षाएं और अधिक केंद्रित होनी चाहिएं और उनका ध्यान 'परिणाम' पर होना चाहिए न कि 'केवल प्रक्रियाओं पर'। अतः रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों और उसकी संवीक्षाओं के केंद्रबिंदु और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निरीक्षण अधिकारियों हेतु एक दिशानिर्देश संबंधी नोट जारी किया गया है ताकि वे बैंकों द्वारा केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों को लागू करने संबंधी निर्धारण करते समय जिन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है उनका ध्यान रख सकें।

बड़े मूल्य के ऋण खातों से संबंधित हक-विलेखों का विधिक लेखा-परीक्षा के अंतर्गत होना

3.54 रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2013 को बैंकों को सूचित किया कि ₹50 मिलियन और उससे अधिक एक्सपोज़र वाले सभी ऋण खातों के संबंध में हक-विलेखों और अन्य दस्तावेजों की आवधिक रूप से विधिक लेखा परीक्षा की जाए और ऋण के पूर्णतया समाप्त होने तक नियमित लेखा-परीक्षा के एक भाग के रूप में संबंधित प्राधिकारियों के साथ हक-विलेखों का पुनः सत्यापन किया जाए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे तिमाही अंतरालों पर अपने निदेशक मंडलों/लेखा-परीक्षा समितियों के सामने समीक्षा नोट प्रस्तुत करें जिसमें तिमाही के दौरान विधिक लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक मामलों की संख्या, कवर किए गए कुल खातों की संख्या, लेखा-परीक्षकों द्वारा इंगित की गई कमियों, ऐसे खातों की संख्या का उल्लेख जिनमें सुधार लाना संभव न हो और ऐसे मामलों में बैंक के हितों की रक्षा करने के लिए किए गए उपचारात्मक उपायों का उल्लेख किया गया हो।

मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस) संबंधी कार्य प्रारंभ किया गया

3.55 '' सुपरवाइज़री फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग लार्ज एक्सपोज़रर्स 'नामक मार्च 2013 में प्रकाशित परामर्शी दस्तावेज के अपेक्षित प्रभाव पता लगाने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति ने एक मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस) प्रारंभ किया था। बड़े एक्सपोज़र समूह का सदस्य होने के नाते रिज़र्व बैंक ने अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले छह बड़े बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकऔर निजी क्षेत्र के तीन बैंक) से विवरण मंगाते हुए क्यूआईएस प्रारंभ किया था। इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ों का अधिक विश्लेषण करने के लिए इसे बीसीबीएस को प्रस्तुत किया गया है। (बॉक्स III.2).

बॉक्स III.2:
बड़े एक्सपोज़रों के प्रति उभर रहे दृष्टिकोण

हाल के वित्तीय संकट से प्रमुख रूप से यह सबक मिला है कि बैंकों ने अपनी बहियों और कार्य-संचालनों में एकल प्रतिपक्षकारों से जुड़े एक्सपोजरों की माप, समग्र स्थिति के आकलन और नियंत्रण का कार्य हमेशा निरंतर रूप से नहीं किया है। ऐतिहासिक रूप से भी वैयक्तिक प्रतिपक्षकारों के संकेंद्रित एक्सपोज़रों के चलते बैंकों के डूबने के कई मामले सामने आए हैं। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकों की उनकी अपनी पूंजी की तुलना में बड़े एक्सपोजरों के आकार के मापन और उसे सीमित रखने की आवश्यकता को काफी पहले ही स्वीकार किया है। बीसीबीएस ने 1991 में बैंकिंग प्रणालियों के लिए सुदृढ़ विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने के व्यापक उद्देश्य के एक अंश के रूप में क्रेडिट एक्सपोज़रों पर पहला मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया। इसके बाद 1999 में ठकोर प्रिन्सिपल्स फ़ॉर इफेक्टिव सुपरविजनड नामक बीसीबीएस दस्तावेज जारी किया गया, जिसमें यह अपेक्षा की गई कि एकल या घनिष्ठता से संबद्ध समूह उधारकर्ताओं से संबंधित बड़े एक्सपोज़रों के लिए स्थानीय कानूनों और बैंक विनियमन द्वारा विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित की जाए। साथ ही, 2006 और 2012 में जारी किए गए मूल सिद्धांतों के संशोधित संस्करणों में भी उच्च एक्सपोज़र सीमाओं के संबंध में इसी के समान अपेक्षा निर्धारित करते हुए एक निर्देश समाविष्ट किया गया है। बड़े एक्सपोज़रों से संबंधित 1991 के

(जारी...)

(...समाप्त.)

बीसीबीएस दस्तावेज के अनुसार एकल एक्सपोज़रों के लिए कुल पूंजी के 25 प्रतिशत की उच्चतर सीमा का लक्ष्य वांछनीय है।

किंतु न तो 1991 के मार्गदर्शन में इस आशय का कोई उल्लेख है और न ही मूल सिद्धांतों में कहीं यह बताया गया है कि बैंक किस प्रकार से एकल प्रतिपक्षकार और संबद्ध प्रतिपक्षकारों के किसी एक समूह को दिए गए एक्सपोज़रों का मापन और संकलन करें। इसके कारण विभिन्न देशों और विभिन्न बैंकों में मौजूद प्रथाओं में काफी अंतर रहा। वैश्विक वित्तीय संकट से मिली सीख के मद्देनज़र और वैश्विक स्तर पर विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में बड़े एक्सपोज़र (एलई) पद्धति में तालमेल बिठाने के उद्देश्य से बीसीबीएस ने विद्यमान एक्सपोज़र मानदंडों की समीक्षा और परिष्करण किए जाने हेतु मार्च 2011 में बड़ा एक्सपोज़र समूह (एलईजी) का गठन किया। इस एलईजी की सिफारिशों के आधार पर बीसीबीएस ने प्रस्तावित मानकों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए मार्च 2013 में ''सुपरवाइज़री फ्रेमवर्क फॉर मेशरिंग एंड कंट्रोलिंग लार्ज एक्सपोज़र्स'' नामक विषय पर परामर्शदायी दस्तावेज प्रकाशित किया। इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन्हें 1 जनवरी 2019 से पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा और ये बासेल-III ढांचे और वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (जी-एसआईबी) के संक्रमण काल के अनुरूप होंगे।

संशोधित एलई पद्धति के परामर्शदायी दस्तावेज में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल किए गए हैं :

- यह प्रस्ताव किया गया है कि संशोधित एलई ढांचा जोखिम-आधारित पूंजी मानकों से संबंधित समिति के विद्यमान प्रयासों का पूरक बने और जोखिम आधारित ढांचे का एक सहज समर्थक के रूप में कार्य करे। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि क्रेडिट गुणवत्ता और दिवालियेपन की प्रक्रिया में वसूली की प्रत्याशित राशि - दोनों को बड़े एक्सपोज़र मानक के अंतर्गत शामिल न किया जाए। अतः एक्सपोज़र मूल्यों के मापन में इन्हें स्थान नहीं दिया जाता है।
- प्रस्तावित मानकों में निजी क्षेत्र के एकल प्रतिपक्षकारों और संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह की चूक की वजह से पैदा होने वाले जोखिम पर ध्यान संकेंद्रित किया जाता है। प्रतिपक्षकारों के बीच नियंत्रण का संबंध और आर्थिक अन्योन्याश्रितता, चाहे एकल रूप से हो और/या फिर संयुक्त रूप से, उन प्रतिपक्षकारों के बीच रहने वाली संबद्धता का पता लगाने का आधार बनेगी जिसके अनुरूप संबद्ध प्रतिपक्षकारों के एक समूह का गठन हो सकता है।
- छाया बैंकिंग से पैदा होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए एलई पद्धति के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत निधियों का एक्सपोज़र, प्रतिभूतिकरण संरचनाएं और सामूहिक निवेश के वचन-पत्र शामिल होंगे। इसका उद्देश्य प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआईएफआई) पर पड़ने वाले संक्रामक प्रभाव को रोकना भी है।
- बीसीबीएस ने ऐसे संकेंद्रण जोखिमों की भी पहचान की है जो बैंक की आघात-सहनीयता को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे आस्ति एक्सपोज़र के क्षेत्रवार व भौगोलिक संकेंद्रण, सरकारों को दिए गए एक्सपोज़र और अंतर-समूह एक्सपोज़र आदि। यह समिति भविष्य में इस प्रकार के एक्सपोज़रों से पैदा होने वाले संकेंद्रण जोखिम पर भी विचार करेगी।
- प्रस्तावित एलई ढांचा वैश्विक स्तर पर सक्रिय सभी बैंकों पर लागू होगा। सदस्य देश अपेक्षाकृत अधिक सख्त मानक तय करने का विकल्प चुन सकते हैं और इसे व्यापक रूप से अधिकाधिक बैंकों पर लागू भी कर सकते हैं।
- बड़े एक्सपोज़रों के ढांचे के अंतर्गत रहने वाले एक्सपोज़रों के साथ मॉडल जोखिम को संबद्ध न किया जाए।
- बड़े एक्सपोज़र की न्यूनतम सीमा बैंक के पात्र पूंजी आधार के 5 प्रतिशत के बराबर हो।
- बैंकों को अपने पर्यवेक्षकों को सभी बड़े एक्सपोज़रों की रिपोर्ट भेजनी चाहिए या यदि उनके बड़े एक्सपोज़रों की संख्या 20 से कम हो तो अपने पास रहने वाले सबसे बड़े 20 ऐसे एक्सपोज़रों की रिपोर्ट भेजनी चाहिए चाहे उनका आकार बैंक के पूंजी आधार की तुलना में कुछ भी हो।
- इस बड़े एक्सपोज़र की सीमा सामान्य इक्विटी टियर (सीईटी1) या टियर 1 पूंजी (वर्तमान में प्रयुक्त कुल पूंजी की तुलना में) के 25 प्रतिशत पर निर्धारित की जाए। इस प्रकार, पूंजी आधार में, जिस पर एक्सपोज़र सीमा की गणना की जाती है, केवल वह पूंजी शामिल की जाएगी, जो कार्यशील संस्था को होने वाली अप्रत्याशित हानियों को झेल सकती हो। साथ ही, प्रयुक्त पूंजी की सख्त परिभाषा से तात्पर्य है संस्तुत बड़ी एक्सपोज़र सीमा को और अधिक सख्त करना।

संकेंद्रण जोखिम को नियंत्रित करने के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों में कालांतर में परिवर्तन आया है और 1991 के बीसीबीएस दिशा-निर्देश उसका मार्गदर्शक रहा है। इन दिशा-निर्देशों में बैंकों की पूंजी निधियों के परिप्रेक्ष्य में एकल या समूह उधारकर्ता को बैंक द्वारा दिए जाने वाले एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा का उल्लेख किया गया है। उनमें यह बताया गया है कि एकल उधारकर्ता और समूह से संबद्ध उधारकर्ताओं के लिए बैंक द्वारा दिया जाने वाला क्रेडिट एक्सपोज़र उसकी अपनी पूंजी निधियों के क्रमशः 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से अधिक न हो। पूंजी बाज़ारों को बैंक द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रकारों (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) के एक्सपोज़र की कुल राशि पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उसकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक न हो। इस समग्र उच्चतम सीमा के अंतर्गत रहते हुए शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों / डिबेंचरों, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों और वेंचर पूंजी निधियों में बैंक द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष निवेश की राशि उसकी अपनी निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक न हो। इसके अलावा, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों और विशिष्ट क्षेत्रों के प्रति बैंक अपनी वचनबद्धता की कुल राशि के लिए आंतरिक सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन और ज्ञात जोखिमों को ध्यान में रखते हुए बैंक तत्संबंधी सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं।

संदर्भ :

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (2013), ''सुपरवाइज़री फ्रेमवर्क फॉर मेशरिंग एंड कंट्रोलिंग लार्ज एक्सपोज़र्स - कन्सल्टेटिव डाक्युमेंट'', मार्च, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों को सूचीबद्ध करने संबंधी मानदंड संशोधित किए गए

3.56 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) का कार्यान्वयन हो जाने तथा इससे सूचना/दस्तावेजों का सहवर्ती केंद्रीकरण हो जाने, एमआईएस की पुनर्संरचना हो जाने और परिचालनात्मक दक्षता बढ़ जाने के कारण यह महसूस किया गया कि सांविधिक लेखापरीक्षकों का चयन करने के लिए तत्संबंधी व्यावसायिक व अन्य मानदंडों को संशोधित किया जाए और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की व्यापक शाखा लेखापरीक्षा की वर्तमान प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया जाए। संशोधित मानदंडों के अनुसार निर्धारित अनुभव के अलावा फर्म के दो भागीदार या उनके वैतनिक सनदी लेखाकार ऐसे हों जो डीआईएसए/ सीआईएसस/आईएसस या अन्य कोई समतुल्य अर्हता रखते हैं।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने समाधान पद्धति की समकक्ष समीक्षा की

3.57 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने एफसीबी के अधिकार-क्षेत्र की मौजूदा समाधान पद्धतियों का मूल्यांकन करने और बेंचमार्क के रूप में कतिपय प्रमुख विशेषताओं (केए) का प्रयोग करते हुए उन पद्धतियों में योजनाबद्ध रूप से परिवर्तन सुझाने के उद्देश्य से एक समकक्ष समीक्षा कराई। अन्य देशों की तरह भारत, जो एफएसबी का सदस्य है, की समाधान पद्धति का भी मूल्यांकन किया गया तथा ऐसे अनेक क्षेत्रों की पहचान की गई जिनमें सुधार किया जाना है। इनके अंतर्गत बीमाकर्ताओं व प्रतिभूति फर्मों की समाधान पद्धति, बैंकों एवं प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआईएफआई) की विफलताओं को दूर करने की दृष्टि से समाधान पद्धतियों को और सशक्त करना तथा पर्यवेक्षकों को प्रत्येक एसआईएफआई के लिए अपने स्वयं की वसूली व समाधान योजनाएं विकसित करने हेतु और अधिक साधन व शक्ति प्रदान करना शामिल है।

डीआईसीजीसी से संबंधित प्रमुख गतिविधियां

3.58 वर्ष 2012-13 के दौरान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने 63 सहकारी बैंकों से संबंधित कुल ₹1,998 मिलियन राशि के दावों (15 मुख्य दावे और 154 अनुपूरक दावे) का निपटान किया जबकि पिछले वर्ष के दौरान उसने ₹2,873 मिलियन राशि के दावों का निपटान किया था। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार जमा बीमा निधि (डीआईएफ) ₹361 बिलियन की रही, जिससे 1.7 प्रतिशत का रिज़र्व अनुपात (डीआईएफ/बीमाकृत जमाराशियां) रहा।

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

वहन करने योग्य दरों पर अल्पावधिक उत्पादन ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना की अवधि 2013-14 तक बढ़ाई गई

3.59 सरकार ने किसानों को वहन करने योग्य दरों पर ऋण दिलाने की दृष्टि से 7 प्रतिशत की रियायती दर पर अल्पावधिक उत्पादन ऋण मुहैया कराने हेतु ब्याज सहायता योजना की अवधि 2013-14 तक बढ़ाई। मौजूदा 2 प्रतिशत की छूट के साथ-साथ शीघ्र/समय पर चुकौती करने से मिलने वाले 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट से ₹0.3 मिलियन तक के उत्पादन ऋणों के लिए किसानों पर प्रभारित की जाने वाली प्रभावी ब्याज दर कम होकर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गई है। यह योजना 2013-14 से निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू कर दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या में वृद्धि

3.60 वर्ष 2012-13 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 947 शाखाएं खोली गईं जिनमें से 26 राज्यों के 635 जिलों और एक संघशासित क्षेत्र में स्थित शाखाओं की कुल संख्या 17,856 हो गई। अब सभी नई शाखाओं में सीबीएस सुविधा होना अनिवार्य है। प्रायोजक बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे इस संबंध में वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बैक ऑफिस समर्थन आदि सभी आवश्यक सहायता प्रदान करें। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार सभी 64 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएस पूरी तरह लागू कर दिया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में हाल में की गईं विनियामक पहलें

3.61 वर्ष 2012-13 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विनियमन के संबंध में अनेक नीतिगत पहलें की गईं। टियर 2 केंद्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टियर 2 केंद्रों (50,000 से 99,999 की आबादी वाले) में उसी नीति के अनुसार शाखा खोलने की अनुमति दी जाए जो टियर 3 से 6 केंद्रों पर लागू होती है। इसके अलावा,

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे एक वर्ष में खोलने हेतु प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या में से कम-से-कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों (टियर 5 और टियर 6) में खोलें। यह भी निर्णय लिया गया कि आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिए संबंधित अधिकार-प्राप्त समिति को विचारार्थ मामले को भेजे बिना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खोलने, उनके स्थानांतरण, शाखाओं विलय या रूपांतरण के संबंध में निर्णय लेने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को किया जाए।

3.62 समस्त बैंकिंग प्रणाली में अपेक्षाकृत और अधिक समानता से बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे एक ऐसा ''बुनियादी बचत बैंक जमा खाता'' की पेशकश करें जिसके माध्यम से उनकेसभी ग्राहकों को कतिपय न्यूनतम सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी देयताओं के मूल्य-निर्धारण के संबंध में अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारदर्शी नीति का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि वे ₹1.5 मिलियन और उससे अधिक राशि की एकल सावधि जमाराशियों की ब्याज दरों और समान परिपक्वता अवधि की अन्य सावधिक जमाराशियों (अर्थात् ₹1.5 मिलियन से कम राशि की जमाराशियां) की ब्याज दरों में रहने वाले अंतर को काफी हद तक कम करें।

3.63 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपने मौजूदा आईटी और एमआईएस ढांचे की समीक्षा करें और वैयक्तिक खाते के स्तर के साथ-साथ खंड के स्तर पर विपत्ति के संकेतों का पता लगाने के लिए एक सुदृढ़ एमआईएस तंत्र की स्थापना करें तथा अनर्जक आस्तियों व पुनर्गठित आस्तियों की सिस्टम जनित खंडवार सूचना रखें।

8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

एनबीएफसी के एक नए वर्ग की शुरुआत

3.64 2012-13 के दौरान एनबीएफीसी की एक नई श्रेणी, नामतः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -फैक्टर्स बनाई गई और इनके लिए प्रवेश के समय पूंजी तथा विवेकपूर्ण-मानदंडों के रूप में एक विनियामकीय ढांचे का निर्माण किया गया।

एनबीएफसी द्वारा स्वर्ण की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों के संशोशित मानदंड

3.65 स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण देने वाली एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात 60 प्रतिशत बनाए रखें और अपने तुलन-पत्रों में अपनी कुल आस्तिया की तुलना में उक्त ऋणों के प्रतिशत का उल्लेख करें। यदि किसी एनबीएफसी द्वारा दिए गए ऋणों की मात्रा उनकी वित्तीय आस्तियों के 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाती हो तो उसे 1 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार कम-से-कम 12 प्रतिशत की टियर-। पूंजी बनाए रखनी होगी। सभी एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे प्राथमिक स्वर्ण, स्वर्ण बुलियन, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की यूनिटों तथा स्वर्ण म्यूचुअल फंड की यूनिटों सहित किसी भी रूप में स्वर्ण खरीद के लिए किसी प्रकार का अग्रिम नहीं देना चाहिए।

3.66 भारत में स्वर्ण आयात और सोने की जमानत पर ऋण देने वाली एनबीएफसी से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्य दल (अध्यक्ष : श्री के.यू.बी. राव) की अधिकांश ऐसी सिफारिशों को रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जो स्वर्ण आभूषण की जमानत पर एनबीएफसी द्वारा दिए जाने वाले ऋणों से संबंधित हैं। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ कई अन्य पहलुओं को समाविष्ट करते हुए तत्संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिनके अंतर्गत स्वर्ण आभूषणों के भंडारण की उपयुक्त बुनियादी संरचना, 1000 से अधिक शाखाएं खोलने हेतु रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन, एलटीवी अनुपात की गणना करने हेतु स्वर्ण मूल्य का मानकीकरण, स्वर्ण आभूषणों के स्वामित्व एवं स्वर्ण आभूषणों की नीलामी प्रक्रिया व कार्यविधि का सत्यापन करना शामिल हैं।

एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन

3.67 उचित व्यवहार संहिता को संशोधित किया गया है ताकि क्षेत्र विशिष्ट विशेषताओं को शामिल करते हुए माइक्रो उधारियों तथा स्वर्ण की जमानत पर प्राप्य उधारियों से संबंधित परिचालनगत मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, इनसे संबंधित उचित व्यवहारों को और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) मार्जिन संबंधी उच्चतम सीमाओं में संशोधन

3.68 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के समक्ष चुनौतियों के मद्देनजर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के आकार पर गौर किए बगैर 31 मार्च 2014 तक उधार देने की उच्चतम सीमा 12 प्रतिशत रही। एमएफआई क्षेत्र में निहित मुद्दों और आशंकाओं का अध्ययन करने वाली भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की उप समिति (अध्यक्ष : श्री वाई.एच. मालेगाम) की रिपोर्ट में दी गई परिभाषा के अनुसार 1 अप्रैल 2014 से बड़ी एमएफआई (₹1 बिलियन से अधिक राशि के ऋण पोर्टफालियो वाले) के लिए मार्जिन की उच्चतम सीमा 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, वहीं अन्य के लिए 12 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

बीमा कारोबार में उतरने वाली मूल निवेश कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए

3.69 अनूठे कारोबार मॉडल को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के बीमा कारोबार में पदार्पण के संबंध में उनके लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए। मोटे तौर पर पात्रता मानदंड एनबीएफसी के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप ही हैं, फिर भी सीआईसी द्वारा बीमे के संयुक्त उद्यम में किए जाने वाले निवेश के संबंध में कोई उच्चतम सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया कि सीआईसी बीमा एजेंसी का कारोबार नही चला सकतीं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ ऐसी शर्तें भी शामिल हैं जैसे स्वाधिकृत निधियां ₹5 बिलियन से कम न हो और एनपीए का स्तर कुल अग्रिमों के 1 प्रतिशत से अधिक न हो। सीआईसी द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान लगातार निवल लाभ दर्ज किया गया हो। संबंधित सीआईसी की अनुषंगी संस्थाओं का पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड, यदि कोई हो, संतोषजनक हो।

विदेशी निवेश के संबंध में सीआईसी को निदेश जारी किए गए

3.70 सीआईसी द्वारा विदेशों में किए गए निवेशों के संबंध में बिल्कुल अलग प्रकार विनियमों को बनाया गया है। सभी सीआईबी के लिये यह आवश्यक है वित्तीय क्षेत्र में विदेशों में संयुक्त उपक्रमों/अनुषंगियों/प्रतिनिधि कार्यालयों में निवेश करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकरण कराएं और उसकी पूर्वानुमति लें। सीआईसी का कुल विदेशी निदेश इसकी स्वाधिकृत निधियों के 400 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जिसमें से विदेशी वित्तीय क्षेत्र में निवेश 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

एनबीएफसी के प्राइवेट प्लेसमेंट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए

3.71 रिज़र्व बैंक के ध्यान में कतिपय प्रतिकूल लक्षण लाए जाने के बाद एनबीएफसी द्वारा न बदले जाने योग्य डीबेंचरों के किए जाने वाले प्राइवेट प्लेसमेंट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए। दिशा-निर्देशों का उद्देश्य प्राइवेट प्लेसमेंट के संदर्भ में एनबीएफसी को अन्य वित्तीय संस्थाओं के समान स्तर पर लाते हुए अभिदाताओं की संख्या अधिकतम करना है। संसाधन संग्रहण के संबंध में एनबीएफसी द्वारा 30 सितंबर 2013 तक बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक ऐसी नीति लागू करना अपेक्षित था जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ योजना की अवधि और प्राइवेट प्लेसमेंट की आवधिकता भी शामिल थी। किसी एकल निवेशक के लिए न्यूनतम अभिदान राशिकी उच्चतम सीमा ₹2.5 मिलियन और उसके बाद ₹1 मिलियन के गुणकों तक निर्धारित कर दी गई है।

9. वित्तीय संस्थाएं

अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री एवं पुनर्वित्तीयन संस्थाओं के लिए उधार लेने की सीमाएं बढ़ाई गईं

3.72 मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक के संपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के तहत निम्नलिखित चार वित्तीय संस्थाएं (एफआई) रहीं : भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई), जो कि पांचवीं वित्तीय संस्था है, स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के अधीन है। 2012-13 के दौरान संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया कि एक्जिम बैंक की उधार लेने की कुल सीमा को एक वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात 31 अगस्त 2013 तक बढ़ाकर उसकी निवल स्वाधिकृत निधि के 12 गुना तक कर दिया जाए, तदुपरांत यह सीमा पुनः उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 10 गुना के बराबर हो जाएगी। एनएचबी के

मामले में ''अंब्रेला सीमा'' के अंतर्गत संसाधन जुटाने के मानदंडों को एक वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात 31जनवरी 2014 तक 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया, तत्पश्चात् यह सीमा पुनः उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत के बराबर हो जाएगी। जहां तक नाबार्ड का प्रश्न है उसकी उधार लेने की कुल सीमा को एक वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात 31 मई 2013 तक उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 11 गुना तक बढ़ा दिया गया और इस अवधि के बाद वह पुनः उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 10 गुना के बराबर हो जाएगी।

10. बैंकों में ग्राहक सेवा

बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के संशोधन व उन्नयन हेतु कार्य समूह

3.73 बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस), 2006 के संशोधन व उन्नयन हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा जुलाई 2012 में एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया गया। इस कार्य समूह की कतिपय सिफारिशों के अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल योजना की परिधि में गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को समाविष्ट करना, बीओएस में 'बैंक' की परिभाषा में आशोधन करना, बीओ को आर्थिक अधिकारिता प्रदान करना, बीओ के नए कार्यालय खोलना, शिकायत हेतु नए आधारों को शामिल करना, ऐसे कार्यालयों में एक अतिरिक्त लोकपाल की नियुक्ति करना जहां शिकायतों की संख्या काफी अधिक है तथा बीओएस के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाना आदि शामिल हैं। कार्यान्वियन की दृष्टि से रिज़र्व बैंक इस कार्य समूह की सिफारिशों की जांच कर रहा है।

ग्राहक सेवा पर गठित दामोदरन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन की स्थिति

3.74 बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी समिति (अध्यक्ष : श्री एम. दामोदरन) ने अपनी रिपोर्ट में 232 सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। इनमें से 155 सिफारिशों को लागू है। शेष सिफारिशों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं - खाते में न्यूनतम शेष राशि - पारदर्शिता, गैर-रखरखाव संबंधी प्रभारों में एकरूपता, मूलभूत सेवाओं के लिए प्रभार, बैंकों द्वारा गलती से वापस किए जाने वाले चेकों के लिए मुआवजा, इंटरनेट बैंकिंग - सुरक्षित संपूर्ण संरक्षण नीति, आवास ऋण - मौजूदा और नए उधारकर्ताओं के बीच अस्थिर ब्याज दर को लेकर कोई भेदभाव न करना तथा ग्राहक की उपेक्षा को सिद्ध करने हेतु बैंकों को जिम्मेदार ठहराना। रिज़र्व बैंक इन सिफारिशों को जल्द-से-जल्द लागू करने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ परामर्श कर रहा है।

3.75 भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में ग्राहक सेवा के स्तर में और सुधार लाने के लिए ग्राहकों के साथ यथोचित व्यवहार (टीसीएफ) मॉडल पर प्रकाश डाला जा सकता है (बॉक्स III.3)।

बॉक्स III.3:
ग्राहकों के साथ यथोचित व्यवहार : ग्राहकों के प्रति बैंकों का दायित्व

ग्राहकों के साथ यथोचित व्यवहार (ट्रिटिंग कस्टमर्स फेयरली) (टीसीएफ) वित्तीय सेवा उद्योग में रहने वाली असममित सूचना (एसिमेट्रिक इन्फर्मेशन) की समस्या, जहां वित्तीय सेवा प्रदाताओं के पास कुछ ऐसी सूचना रहती है जो उपभोक्ताओं के पास नहीं रहती हो, को दूर करने हेतु बनाई गई उपभोक्ता संरक्षण नीति है। यह एक विनियामक पहल है जिसके अंतर्गत संस्थाओं को अपने ग्राहकों के साथ उत्पाद जीवन-चक्र की सभी अवस्थाओं, जिनके अंतर्गत डिजाइन, विपणन, सूचना, बिक्री केंद्र और बिक्री के बाद की अवस्थाएं शामिल हैं, में यथोचित रूप से व्यवहार पर विचार करने की अपेक्षा की गई है। संस्थाओं को अपनी कार्य-पद्धति का पुनर्मूल्यांकन करने और ग्राहकों के साथ यथोचित व्यवहार करने की प्रवृत्ति पैदा करने हेतु प्रोत्साहित करने से मिलने वाला परिणाम संभवतः विनियामक, उपभोक्ताओं और अंततः संस्थाओं की दृष्टि से अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। टीसीएफ पहल की शुरुआत फाइनैन्शियल सर्वीसेज़ अर्थॉरिटी (एफएसए), यूके द्वारा 2006 में की गई। हाल के वर्षों में दक्षिण अफ्रीका ने भी यूएस संस्करण पर आधारित टीसीएफ को अपना लिया। दक्षिण अफ्रीका ने टीसीएफ नीति के संपूर्ण कार्यान्वियन के लिए 2014 तक की अवधि निर्धारित की है।

एफएसए, 2006 के अनुसार टीसीएफ कार्यक्रमों से निम्नलिखित परिणामों की प्रत्याशा की जाती है : (i) उपभोक्ता इस विश्वास के साथ निश्चिंत रह सकते हैं कि वे ऐसी संस्थाओं के साथ लेनदेन कर रहे हैं जिनकी कॉरपोरेट कार्य-पद्धति में ग्राहकों के साथ यथोचित व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया गया है; (ii) रिटेल बाज़ार में विपणन एवं बेचे जाने वाले उत्पाद एवं सेवाएं शिनाख्त किए गए उपभोक्ता समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं और उन्हें तदनुसार लक्ष्यबद्ध किया जाता है; (iii) उपभोक्ताओं को सही सूचना दी जाती है और उन्हें बिक्री से पहले, उसके दौरान और बाद में भी समुचित रूप से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है; (iv) जहां तक उपभोक्ताओं को सलाह देने का प्रश्न है दी जाने वाली सलाह उपयुक्त है और उसे देने से पहले उनकी आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है; (v) उपभोक्ताओं को ठीक उसी प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं जिनके संबंध में उपभोक्ताओं ने फर्मों से आशा की थी, एवं उनके संबंध में दी जाने वाली सेवा भी स्वीकार्य स्तर की है जैसा कि उपभोक्ताओं ने फर्मों से उम्मीद रखी थी; तथा (vi) उपभोक्ताओं को फर्मों से बिक्री के बाद ऐसे किसी अनुचित अवरोधों

(जारी...)

(...समाप्त)

का सामना नहीं करना पड़ता है जहां उन्हें उत्पादों को बदलने, सेवाप्रदाताओं को बदलने, दावा या शिकायत करने के लिए मज़बूर किया जाता है। अब अनेक देशों ने टीसीएफ के परिणामों को पहचान लिया है। बैंकों को इन परिणामों को हासिल करने के लिए अपने आप को बदलना पड़ सकता है। साथ ही, फर्म के लिए यह जानना ज़रूरी है कि उत्पाद के जीवन-चक्र की प्रत्येक अवस्था में टीसीएफ कार्यक्रम कितना महत्व रखता है।

जहां तक टीसीएफ कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रश्न है यूके के अनुभव से यह पता चला है कि सिद्धांतों और नियमों को कितने भी अच्छे ढंग से अभिव्यक्त क्यों न किया जाए, लेकिन इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर कुछ अतिरिक्त कारकों का प्रभाव पड़ता ही है। इनके अंतर्गत फर्म के नेतृत्व की मानसिकता में बदलाव भी शामिल है। टीसीएफ कार्यक्रम को ऐसे फर्म सफलतापूर्वक अपना पाते हैं जहां सीईओ या कार्यपालक निदेशक ने इस कार्यक्रम को विशेष रूप से समर्थन प्रदान किया है, मध्यम स्तरीय प्रबंधन व कर्मचारियों को उसके महत्व को समझाया है तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं उनके निवारण की स्थिति के संबंध में नियमित रूप से आंकड़े प्राप्त किए हैं। इसके अलावा, फर्म में कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन और प्रोत्साहन संरचना के निर्धारण में भी टीसीएफ उपायों की भूमिका रही। इस दिशा में सबसे कम सफलता उन फर्मों ने हासिल की जिन्होंने अपने अनुपालन विभाग (या किसी बाहरी एजेंसी) को इसी प्रकार का कोई कार्यक्रम बनाने के लिए तो बता दिया था तथा जहां न तो प्रतिसूचना प्रस्तुत की गई और न ही बोर्ड के स्तर पर उस पर चर्चा की गई।

रिज़र्व बैंक ने भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि भारत में बैंक के ग्राहकों के साथ यथोचित व्यवहार किया जाता है। पिछले वर्षों में उसने अनेक ग्राहक-उन्मुख उपायों की पहल की है और उसने विनियामक व पर्यवेक्षी हस्ताक्षेपों के माध्यम से ग्राहकों के साथ यथोचित रूप से व्यवहार करने की पद्धति विकसित की है। रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की स्थापना की दिशा में अगुवाई की, जो कि एक स्वायत्त व स्वतंत्र निकाय है और जिसे भारत में बैंकिंग सेवाओं के लिए संहिताएं व मानक निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है। ये वचनबद्धता संहिताएं बीसीएसबीआई के सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं और इनका अनुपालन नहीं किया जाना बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) के अंतर्गत शिकायत का विधि-सम्मत आधार बन सकता है। उपभोक्ताओं को सशक्त करने और उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की भी स्थापना की है, जो कि बैंकों की सेवाओं में कमी को दूर करने का एक शीर्ष स्तरीय, निःशुल्क शिकायत निवारण तंत्र है।

भारत में अनुसूचित बैंकों के बैंकिंग उत्पादों के संबंध में टीसीफ की संकल्पना और मूलभूत संरचना मौजूद है। किंतु अब यह महसूस किया गया है कि इस टीसीएफ संचना की परिधि को बढ़ाकर तीसरी पार्टी उत्पादों को भी क्यों न शामिल किया जाए, जैसे म्यूचुअल फंड, पूंजी बाज़ार और बैंकों द्वारा बेचे जाने वाले बीमा उत्पाद तथा गैर-अनुसूचित बैंकों को भी बीओएस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना।

संदर्भ :

फीसिबिलिटी (प्रो.) लि. (2010), ''ट्रीटिंग कस्टमर्स फेयरली'' - फाइनैन्शियल सर्वीसेज़ बोर्ड के लिए तैयार किया गया चर्चा पत्र।

फाइनैन्शियल सर्वीसेज़ अथॉरिटी (एफएसए) (2006), ''ट्रीटिंग कस्टमर्स फेयरली - टुवर्ड्स फेयर आउटकम्स फॉर कन्ज्यूमर्स''

11. भुगतान और निपटान प्रणालियां

3.76 रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज़ 2012-15 में यथा-उल्लिखित नीतिगत उपाय किए हैं। इनके अंतर्गत मुख्यतः नकदी / कागज़ी पद्धतियों से किए जाने वाले लेनदेनों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों में अंतरित करने की ओर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ ऐसे लोगों तक भुगतान प्रणाली की उपलब्धता बढ़ाने के प्रति भी ध्यान केंद्रित किया गया है जो वर्तमान में इस सुविधा से वंचित हैं। वर्ष के दौरान की गई प्रमुख नीतिगत पहलें नीचे दर्शाई गई हैं।

केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों तक पहुंच का विस्तार

3.77 सभी लाइसेंस-प्राप्त बैंक उप सदस्यता के माध्यम से भी इन प्रणालियों तक पहुंच बना पाए जिससे अप्रैल 2012 में केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों तक पहुंच और बढ़ी। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली में लगभग 652 उप- सदस्य थे। वहीं, तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) में 509 सदस्य रहे।

एनईएफटी को और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु किए गए विभिन्न उपाय

3.78 एनईएफटी में बढ़ती मात्रा के अनुरूप कार्यसंचालन को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से इस प्रणाली में दो नए उन्नयन किए गए हैं। पूर्वाह्न 8:00 बजे एक अतिरिक्त बैच की शुरुआत किए जाने से कार्य दिवसों के बैचों की कुल संख्या 12 हो गई, जबकि शनिवारों को बैचों की कुल संख्या 6 हो गई। इस उद्देश्य से कि गंतव्य बैंकों को आवक लेन-देनों का प्रसंस्करण करने में सुविधा हो, उन्हें मिलने वाले टाइम-विंडो की अवधि बढ़ाने की दृष्टि से क्रेडिट संबंधी संदेशों को लगातार जारी करने की विशेषता शुरू की गई है। छोटे मूल्य के लेन-देनों के मामले में नकदी या चेक के प्रयोग के स्थान पर एनईएफटी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ₹10,000 तक के लेन-देनों पर लगने वाले ग्राहक प्रभारों में कटौती कर ₹5.00 से ₹2.50 कर दिया गया है। इसके अलावा, एनईएफटी और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) के अंतर्गत शाखाओं के

बीच रहने वाले अंतर को पाटने के लिहाज से बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी एनईएफटी-समर्थित शाखाओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) भी उपलब्ध कराई जाती है। परिणामस्वरूप, एनईसीएस में शामिल बैंक शाखाओं की संख्या 59,000 से बढ़कर 75,641 हो गई।

छोटे मूल्य के लेन-देनों के लिए भी डेबिट कार्ड के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु डेबिट कार्ड लेन-देनों से संबद्ध मेर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को युक्तिसंगत किया गया

3.79 सभी वर्ग और प्रकार के व्यापारियों को कार्ड स्वीकरण की बुनियादी संरचना की स्थापना करने तथा छोटे मूल्य के लेनदेनों के लिए भी कार्ड को स्वीकार करने हेतु बढ़ावा देने की दृष्टि से डेबिट कार्ड लेनदेनों की एमडीआर[4] संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया। तदनुसार, बैंकों द्वारा प्रभारित की जाने वाली अधिकतम दर को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है : (i) ₹2000 तक की राशि के लेन-देन के लिए 0.75 प्रतिशत से अधिक न हो; (ii) ₹2000 से अधिक राशि के लेन-देन के लिए 1 प्रतिशत से अधिक न हो। आशा की जाती है कि इससे बिक्री केंद्रों (पीओएस) में डेबिट कार्डों का प्रयोग बढ़ेगा और छोटे व्यापारियों को पीओएस टर्मिनल की स्थापना के लिए बढ़ावा मिलेगा।

भुगतान प्रणालियों की निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की गई

2.80 देश में भुगतान प्रणालियों का परिचालन करने वाली 44 प्राधिकृत संस्थाओं (बैंक और गैर-बैंक दोनों) की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक निगरानी व्यवस्था का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही, भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) का मूल्यांकन पीएफएमआई[5] सिद्धांतों को आधार मानते हुए किया गया।

तकनीकी समिति ने आईएफएससी को जारी रखने और अंतरराष्ट्रीय बैंक खाता संख्या (आईबीएएन) का कार्यान्वयन करने की सिफारिश की

3.81 निपटान और लेन-देन राशियों को भेजने/प्राप्त करने में बैंकों/शाखाओं की पहचान करने के लिए भारत में परिचालित विभिन्न भुगतान प्रणालियां अलग-अलग कूटों (आईएफएससी, एमआईसीआर, बीआईसी) का प्रयोग करती हैं। चूंकि सभी प्रमुख बैंकों ने सीबीएस को अपना लिया है, अतः इन बैंकों ने आरटीजीएस और एनईएफटी लेन-देनों को भेजने हेतु आईएफएससी[6] में शाखा आइडेंटिफायर व्यवस्था को बंद करने की मांग की। इसके अलावा, भुगतान प्रणालियों के अंतर्गत गलती से धन राशि जमा करने से बचने की दृष्टि से सभी बैंकों में एक समान खाता संख्या की शुरुआत करने की मांग की गई। रिज़र्व बैंक ने इन मुद्दों का अध्ययन करने की दृष्टि से एक समान रूटिंग कूट और खाता संख्या संरचना की जांच करने हेतु एक तकनीकी समिति (अध्यक्ष : श्री विजय चुग) गठित की। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं : (i) चूंकि गलत खातों में धन राशि जमा होने से बचने के लिए अनेक बैंकों द्वारा प्रमाणीकरण जांच में आईएफएससी का प्रयोग किया जा रहा है, अतः आईएफएससी में शाखा आइडेंटीफायर व्यवस्था को जारी रखा जाए; (ii) नई भुगतान प्रणालियों सहित सभी भुगतान प्रणालियों में रूटिंग प्रयोजनार्थ आईएफएससी का प्रयोग करना; (iii) समरूपता लाने और ऐसी प्रणालियों में, जो भुगतान के लेन-देनों के सफलतापूर्वक प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में खाता संख्याओं का प्रयोग करती हैं, कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु बैंकों में आईबीएएन को लागू करना। इससे प्रारंभिक स्तर पर खाता संख्या का प्रमाणीकरण करने में सहायता मिलेगी; (iv) अल्फा-आईडी युक्त 26-वर्णों वाले आईबीएएन का प्रयोग जिससे बैंकों में बदलाव करने की अपेक्षा काफी हद तक कम होगी। तथापि, इस समिति ने यह महसूस किया है कि आईबीएएन से बैंकों में खातों की पोर्टेबिलिटी संभव नहीं हो सकती। इस समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

सुविधाजनक बिल भुगतान हेतु गीरो (जीआईआरओ) आधारित भुगतान प्रणाली की शुरुआत

3.82 यद्यपि देश में इस समय कई प्रकार के भुगतान लिखत और भुगतान चैनल मौजूद हैं, तथापि, बिल भुगतानों को सुसाध्य बनाने की कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं है। इस समस्या को दूर करने और बिल भुगतान संबंधी जनसाधारण की सभी आवश्यकता को पूरा

4 कार्ड भुगतानों के लिए व्यापारियों द्वारा अदा किया गया शुल्क
5 वित्तीय बाज़ार की बुनियादी संरचना संबंधी सिद्धांत
6 भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट

करने हेतु साझी बुनियादी संरचना तैयार करने हेतु भारत में भुगतान प्रणाली आधारित गीरो (जीआईआरओ) प्रणाली के कार्यान्वयन की संभावनाओं का अध्ययन करने हेतु एक समिति (अध्यक्ष : श्री जी. पद्मनाभन) गठित की गई। इस समिति ने मौजूदा बिल भुगतान प्रणाली में कई कमियां पाई हैं जैसे इंटरऑपरेबिलिटी का अभाव, बिल बनाने वालों को नकद वसूली में आने वाली अधिक लागत तथा बड़े नगरों के बाहर इसकी कम उपलब्धता। समिति ने यह भी पाया है कि बिल बनाने वालों द्वारा देश भर बिल भुगतान के लिए साझी व इंटरऑपरेबल बिल भुगतान प्रणाली स्थापित करने की दिशा में समन्वित रूप से पहल करने की चेष्टा नहीं की गई है।

3.83 इस समिति ने यह सिफारिश की है कि ''इंडिया बिल पेमेंट सिस्टम'' नामक एक गीरो (जीआईआरओ) आधारित भुगतान प्रणाली तैयार की जाए और उसे देश में लागू किया जाए जो सभी संबंधितों को एक ही जगह पर बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करेगी। यह बिल अदाकर्ताओं को कई चैनलों के जरिए मल्टिपल टच पाइंट मुहैया करेगी जिससे वे अपनी सुविधा के अनुसार ऐक्सेस करके बिल अदा कर सकते हैं। इस समिति ने यह भी सिफारिश की है कि आईबीपीएस का परिचालन व प्रबंधन कार्य पेशेवराना अंदाज से करने और उसे व्यावसायिक तर्ज पर संचालित करने हेतु एक पृथक् संगठन की आवश्यकता है जिसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया जाए। भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की गई और गीरो (जीआईआरओ) परामर्शदायी समूह के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की सुरक्षा सुदृढ़ की गई

3.84 भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने और ग्राहकों/बैंकों के सम्मुख पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से बैंकों और अन्य संबंधितों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वे समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कतिपय सुरक्षा उपाय अपना लें। ये उपाय निम्नानुसार हैं : (i) ग्राहक द्वारा अनुरोध करने पर ही इंटरनेशनल कार्ड जारी किया जाए अन्यथा उसे केवल डोमेस्टिक कार्ड जारी करना; (ii) विदेशों में कार्डों का प्रयोग करने वालों के लिए ईएमवी कार्ड जारी करना; (iii) अंतरराष्ट्रीय लेन-देनों के मामले में चुंबकीय स्ट्राइप वाले कार्डों के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित करना; (iv) डेटा जोखिम (कॉम्प्रमाइज़) को रोकने के लिए पीओएस टर्मिनलों को सुरक्षित बनाना; (v) धोखाधड़ियों से बचने के लिए तकनीकें विकसित करना; (vi) इंटरनेट बैंकिंग खाते में जोड़े जाने वाले लाभार्थियों की संख्या और ऑनलाइन अंतरणों की संख्या पर नियंत्रण लगाना; (vii) ऑनलाइन भुगतानों के प्रमाणीकरण के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करना; तथा (viii) सभी ग्राहकों की बड़ी राशि के भुगतानों के लिए डिजिटल सिग्नेचर पद्धति लागू करने पर विचार करना।

मौजूदा आरटीजीएस की जगह अगली पीढ़ी आरटीजीएस (नेक्स्ट जेनरेशन -आरटीजीएस)

3.85 इस प्रणाली के अंतर्गत बढ़ती संख्या और बदलती कारोबारी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक मौजूदा आरटीजीएस के स्थान पर नई प्रणाली स्थापित कर रहा है जिसकी कार्य-संचालन और विशेषताएं काफी बेहतर हैं। इस नई प्रणाली की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं : उन्नत चलनिधि प्रबंधन सुविधा; इक्सटेन्सबल मार्कअप लैंग्वेज (एक्सएमएल) आधारित मेसेजिंग प्रणाली जो आईएसओ 20022 के अनुरूप है; तत्काल सूचना एवं लेनदेन निगरानी और नियंत्रण प्रणालियां; तथा ग्रिडलॉक बचाव तंत्र और उन्नत क्यू मैनेजमेंट तकनीकें। एनजी-आरटीजीएस के अंतर्गत आरटीजीएस संदेश भेजने हेतु आईएसओ 20022 मेसेज फार्मेट का प्रयोग किया जा रहा है और उच्च मूल्य भुगतान प्रणालियों के लिए इस फार्मेट के प्रयोग का सारे विश्व में यह पहला उदाहरण है।

12. बैंकिंग क्षेत्र संबंधी विधान

बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012

3.86 बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 दिनांक 18 जनवरी 2013 से लागू हुआ। इस अधिनियम से रिज़र्व बैंक को कुल 12 महीने की अवधि तक किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल का अधिक्रमण करने तथा वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक प्रशासक की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। साथ ही, इस अधिनियम से रिज़र्व बैंक को मताधिकार की उच्चतम सीमा चरणबद्ध रूप से 10 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कराने का भी अधिकार प्राप्त हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग कंपनियों का नियंत्रण ''सही व उपयुक्त व्यक्तियों'' के हाथों में हैं, किसी बैंकिंग कंपनी में

5 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरों या मताधिकारों के अधिग्रहण के मामले में रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना ज़रूरी है।

3.87 रिज़र्व बैंक को बैंकिंग कंपनियों के सहयोगी उद्यमों के संबंध में सूचना एकत्रित करने और निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। ''अनुमोदित प्रतिभूतियों'' की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए उन्हें केंद्र या राज्य सरकारी प्रतिभूतियों और रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य किसी प्रतिभूतियों तक सीमित रखा गया है। बैंकिंग कंपनियां अधिमान शेयर जारी कर सकती हैं बशर्ते इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियामक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। राष्ट्रीयकृत बैंक ''बोनस'' और ''अधिकार'' निर्गमों के माध्यम से पूंजी जुटा सकते हैं तथा ₹30 बिलियन की उच्चतम सीमा की बंदिश के बिना, केंद्र सरकार एवं रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करके प्राधिकृत पूंजी को बढ़ा या घटा सकते हैं। इस संबंध में उल्लंघन होने पर लगाए जाने वाले अर्थ दंड की राशि काफी बढ़ा दी गई है।

प्रतिभूति हित प्रवर्तन और ऋण वसूली कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012

3.88 उक्त संशोधन अधिनियम (धारा 8 और धारा 15(बी) को छोड़कर) 15 जनवरी 2013 से लागू किया गया। यह अधिनियम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (आरडीडीबीएफआई अधिनियम) का संशोधित रूप है। सरफेसी अधिनियम और आरडीडीबीएफआई अधिनियम दोनों मेंही दी गई ''बैंक'' की परिभाषा को संशोधित करते हुए उसमें 'बहु-राज्य सहकारी बैंक' को भी शामिल किया गया है ताकि उक्त अधिनियमों के प्रावधानों को बहु-राज्य सहकारी बैंकों पर भी लागू किया जा सके तथा अब उन्हें ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) का जरिया भी उपलब्ध होगा। प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कंपनियां अब ऋण के किसी भी अंश को उधारकर्ता कंपनी की इक्विटी/ शेयरों में परिवर्तित कर सकती हैं। प्रतिभूत लेनदार ऐसे समयों में चूककर्ता उधारकर्ता के विरुद्ध अपने दावे की संपूर्ण या आंशिक संतुष्टि के अनुसार अचल आस्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं यदि रिज़र्व मूल्य की राशि के लिए कोई क्रेता ही उपलब्ध न हो।

राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) बिल, 2012

3.89 यह विधेयक 30 अप्रैल 2012 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। इसके माध्यम से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) अधिनियम, 1987 को संशोधित किया जा रहा है। इस विधेयक द्वारा रिज़र्व बैंक की एनएचबी की शेयरधारिता केंद्र सरकार को अंतरित करने का प्रावधान किया गया है ताकि स्वामित्व और विनियामक भूमिका में कोई विरोधाभास पैदा न हो सके। इससे केंद्र सरकार को एनएचबी की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाने का अधिकार मिलेगा। इसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि आवास वित्त कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर समान रूप से नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवास वित्त कंपनियों के पंजीकरण व विनियमन के अधिकार रिज़र्व बैंक को अंतरित किए जाएं। एनएचबी ऐसी संस्थाओं के पर्यवेक्षण और वित्तीयन पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा।

माइक्रो फाइनान्स संस्थाएं (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012

3.90 यह विधेयक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) का संवर्धन, विकास, विनियमन और सुव्यवस्थित वृद्धि करने तथा उससे वित्तीय समावेशन को सुकर बनाने के लिए एक सांविधिक ढांचा प्रदान करने की दृष्टि से 22 मई 2012 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की वृद्धि एवं विकास की दिशा में नीति तैयार करने केलिए केंद्र सरकार को सलाह देने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म वित्त विकास परिषद् के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य और जिले के स्तरों के लिए भी समान रूप से प्रावधान किया गया है। इसमें ऐसी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं पर सूक्ष्म वित्त सेवा प्रदान करने संबंधी गतिविधियों में संलग्न होने से प्रतिबंध लगाया गया है जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है, किंतु उसमें उन मौजूदा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को ऐसी सेवाएं बिना पंजीकरण के जारी रखने की अनुमति दी गई है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इसमें रिज़र्व बैंक को ऐसी स्थिति में किसी सूक्ष्म वित्त कंपनी का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया है जब वह सूक्ष्म वित्त सेवाएं प्रदान करने के कारोबार में चूक जाती हो, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए पंजीकरण या निदेशों का उल्लंघन करती

हो। साथ ही इसमें रिज़र्व बैंक को जनहित में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को निदेश जारी करने और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के खातों का निरीक्षण भी करने तथा तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2013

3.91 इस विधेयक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का प्रावधान है और इसे 22 अप्रैल 2013 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-संचालन की शुरुआत से पांच वर्ष समाप्त होने के बाद भी प्रायोजक बैंकों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जारी रहेगा। इसमें प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी को ₹50 मिलियन से बढ़ाकर ₹5 बिलियन करने का प्रावधान किया गया है। इसमें किए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की निर्गत पूंजी ₹10 मिलियन से कम नहीं हो सकती। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक से इतर स्रोतों से पूंजी जुटाने का प्रावधान किया गया है बशर्ते किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक की संयुक्त शेयरधारिता का हिस्सा 51 प्रतिशत से कम न हो जाए। इसमें शेयरधारकों को निदेशकों का निर्वाचन करने का भी प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2013

3.92 यह संशोधन विधेयक 6 मई 2013 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। इसमें नाबार्ड में रिज़र्व बैंक की अभिदत्त पूंजी सरकार को अंतरित व निहित करने का प्रावधान किया गया है। इससे केंद्र सरकार को नाबार्ड में अपनी पूंजी को ₹50 बिलियन से बढ़ाकर ₹200 बिलियन करने का अधिकार दिया गया है। इससे नाबार्ड को, ऋण देने के कार्यों की परिधि को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। साथ ही, नाबार्ड को, ऋणों व अग्रिमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (अल्पावधि प्रवर्तन) निधि नामक एक निधि की स्थापना करने और बनाए रखने का प्रावधान किया गया है।

धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012

3.93 यह संशोधन अधिनियम 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ। इसमें भारतीय विधि और विदेशी विधियों के प्रावधानों के बीच संबंध स्थापित करने हेतु ''तदनुरूप विधि'' नामक एक अवधारणा का प्रारंभ किया गया है तथा भारत में होने वाले किसी भी प्रकार के विदेशी विधेय अपराध (फॉरिन प्रेडिकेट आफेन्स) की आगम राशियां अंतरित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें धनशोधन के अपराध की परिभाषा को विस्तृत करते हुए निम्नलिखित गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जैसे संपत्ति को छिपाना, उसका अधिग्रहण या प्रयोग तथा उसे इस प्रकार व्यक्त करना या उसके संबंध में दावा करना कि वह निष्कलंक संपत्ति है।

13. समग्र मूल्यांकन

3.94 वर्ष 2012-13 में अनेक प्रमुख नीतिगत निर्णय लिए गए। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता के आरंभिक मुद्दों से, जो हाल के समय में उभरकर सामने आए हैं, से ध्यान हटाए बिना, मूल्य स्थिरता और संवृद्धि के उद्देश्यों के बीच संवेदनशील रूप से संतुलन बनाए रखते हुए बहुत ही बारीकी से मौद्रिक नीति का पालन किया है। इस दिशा में मौद्रिक नीति ने फ्रंट-लोड नीति दर कमी करने और इसके चक्र को सुविचारित ढंग से नियंत्रित करने की कोशिश की। इस कार्य में दोहरे घाटों से पैदा होने वाले समष्टि-आर्थिक जोखिमों का भी ध्यान रखा गया है।

3.95 वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, अर्थव्यवस्था के उत्पादनकारी क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में बढ़ोतरी और वित्तीय क्षेत्र के विकास के संबंध में अनेक उपाय किए गए। एमजीएनआरईजीए मज़दूरी, अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों और आर्थिक सहायता की विभिन्न राशियों को बैंक शाखा/बीसी के माध्यम से जमा करने के उद्देश्य से डीबीटी योजना के सुचारु कार्यान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए। वित्तीय समावेशन को सुसाध्य बनाने हेतु केवाईसी और एएमएल मानदंडों को सरलीकृत और युक्तिसंगत बनाया गया। चालू खाता शेष की अतिसंवेदनशीलता को देखते हुए और सट्टे के प्रयोजन से बढ़ने

वाली स्वर्ण मांग पर काबू पाने हेतु स्वर्ण बुलियन की खरीद हेतु दिए जाने वाले बैंक वित्त पर कई प्रकार से रोक लगाई गई। कॉरपोरेटों से संबंधित अरक्षित (हेज-रहित) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़रों से पैदा होकर बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति को चुनौती देने वाले जोखिमों से निपटने के लिए कई विवेकपूर्ण उपाय किए गए। प्रावधानीकरण की मौजूदा नीति की कमियों को दूर करने हेतु बैंकों के लिए गतिशील व प्रतिचक्रीय तत्व युक्त एक व्यापक प्रावधानीकरण ढांचा तैयार किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की दृष्टि से निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने संबंधी अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए गए तथा नए बैंक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र भी आमंत्रित किए गए। बैंकों में ग्राहक सेवा के स्तर को बढाने हेतु दामोदरन समिति की सिफारिशों के आधार पर नए-नए उपाय किए गए। बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों की पुनर्संरचना संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को महापात्र कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया। भुगतान और निपटान प्रणाली को और सुदृढ एवं ग्राहक अनुकूल बनाने तथा भुगतान लेनदेनों को नकदी / कागज रूप से इलेक्टॉनिक रूप में अंतरित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए। रिज़र्व बैंक की विनियामक शक्तियों को और प्रभावी बनाने तथा पूंजी बाज़ार तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की पहुंच को बढ़ाने की दृष्टि से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित किया गया। धनशोधन निवारण विधियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत बनाने हेतु उन्हें और सुदृढ किया गया।

3.96 भविष्य में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय समावेशन पर अनवरत रूप से ध्यान संकेंद्रित करने के साथ-साथ प्रणालीगत जोखिमों और वैश्विक वित्तीय अंतर-संबद्धता के कारण पैदा होने वाले जोखिमों पर चौकसी के लिए एक सुदृढ़, आघात-सहनीय और समावेशी बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र का निर्माण किया जा सकेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की सतत व समावेशी संवृद्धि में योगदान मिल सकता है।